"समाज में महिलायों के अधिकार सशक्तिकरण एवं चुनौतियों का अध्ययन"

जिला–सरगुजा के संदर्भ में

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम

एम.एस डब्लू.

की अंश पूर्ति हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबंध

सत्र 2020–21

निर्देशकाः–

सुश्री सुस्मिता समददार

शिक्षकर /सहा.प्राध्यापक

रा.गा.शा.स्ना.महा.अम्बिकापुर

शोधकर्ता

सरस्वती

एम.एस.डब्लू. अंतिम वर्ष

रोल नं–213760

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त)

वि.वि. बिलासपुर (छ.ग)

अध्ययन केंद्र

क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर जिला– सरगुजा (छ.ग)

घोषणा प्रत्र

मैं सरस्वती छात्र एम.एस. डब्लू. समाज कार्य सत्र 2020-21

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर (छ.ग) , घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह लघु शोध परियोजना ''समाज में महिलायों के अधिकार सशक्तिकरण एवं चुनौतियों का अध्ययन'' मेरी अपनी मौलिक कृति है। इसे मैने स्वंय के प्रयासो से एवं निर्देशक सुश्री सुस्मिता समददार के निर्देशन में पूर्ण कर पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ के एम.एस.डब्लू. समाज कार्य के पाठ्क्रम (Dissertation) के तहत प्रस्तुत कर रही हूं।

प्रस्तुतकर्ता

सरस्वती

एम.एस. डब्लू. समाज कार्य

दिनांक–

स्थान–अम्बिकापुर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति सरस्वती एम0एस0डब्ल्यू अंतिम वर्ष के द्वारा पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की मुख्य परीक्षा अंश पूर्ति के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रतिवेदन /लघु–शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया।

यह प्रतिवेदन मेरे मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पूर्ण हुआ है। जो कि इनके स्वयं के द्वारा एकत्रित किये गए तथ्यों पर आधारित है।

दिनांक .....

स्थान .....

निर्देशक

सुश्री सुस्मिता समद्दार

सहायक प्रध्यापक (एम0एस0डब्लू विभाग)

राजिव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अम्बिकापुर (छ0ग)

अनुक्रमाणिका

क्र.   पृष्ठ संख्या

अध्याय 01 प्रस्तावना

अध्याय 02

(I) शोध प्रकिया एवं विधि

(II) निदर्शन

(III) उपकरण की सामग्री

(IV) ऑकडों का संकलन

(V) अध्ययन की सीमाऍ

(VI) तथ्यों के ऑकलन में समस्या

अध्याय 03

1 वर्गीकरण एवं सारणीयन

अध्याय 04

परिणामों की सम्पुर्ण विवेचना

अध्याय 05

(I) प्राप्तियॉ एवं निष्कर्ष

(II) सुझाव

अध्याय 06

संदर्भ ग्रंथ, अनुसूची, अन्य स्त्रोत एवं परिशिष्ट

अनुकमाणिका

अध्याय 01

प्रस्तावना

1 परिचय

2 अर्थ

3 परिभाषा

4 महिला सशक्तिकरण के बाधक कारक (समस्या)

5 महिला सशक्तिकरण के तत्व

अध्याय 02

(I) शोध प्रकिया एवं विधि

1 परिचय

2 अध्ययन का समस्या

3 साहित्य का पुर्नअवलोकन

4 शोध का उद्देश्य

5 अध्ययन की आवश्यकता

6 उपकल्पना

7 शोध विधि

सार्वभौमिक अध्ययन क्षेत्र का परिचय

(II) निदर्शन

1 अर्थ

2 परिभाषा

(III) उपकरण की सामग्री

(IV) आंकडो किा संकलन

(V) अध्ययन की सीमाएँ

(VI) तथ्यों के आंकलन में समस्या

अध्याय 03

वर्गीकरण एवं सारणीयन

अध्याय 04

परिणामों की सम्पुर्ण विवेचना

अध्याय 05

(I) प्राप्तियॉ एवं निष्कर्ष

(II) सुझाव

1 उत्तरदाता का सुझाव
2 शोधकर्ता का सुझाव

3 समाजिक कार्यकर्ता का भूमिका

अध्याय 06

अनुसूची, अन्य स्त्रोत एवं परिशिष्ट

अध्याय–01

प्रस्तावना

- परिचय
- अर्थ
- परिभाषा
- महिला सशक्तिकरण के बाधक कारक (समस्या)

समाज में महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण एवं चुनौतियों का अध्ययन

अध्याय – 1

प्रस्तावना

परिचय :– सशक्तिकरण की बात समाज में रह रहकर उठती रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ कुछ इस प्रकार लगाया जाता है कि जैसे महिलाओं को किसी वर्ग विशेषकर पुरुष वर्ग का सामना करने के लिए सुदृढ किया जा रहा है। भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किये गये है। उसे अपने जीवन की गरिमा को सुरक्षित रखने और सम्मानित जीवन जीने का पुर्ण अधिकार प्रदान किया गया। यहां तक कि शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं को अपनी प्रतिभा को निखरने और मुखरित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गयी। महाभारत काल के पश्चात् नारी की इस स्थिति मे गिरावत आयी। उससे शिक्षा का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। और नारी को प्रताड़ित किया जाने लगा, जबकी नारी प्रताड़ना की नहीं तारन के अधिकारी है। उनका कल्याण होना चाहिए,जिसके लिए पुरुष समाज को विशेष रक्षोपाय करने चाहिए।

नारी के बिना पुरुष की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। ईश्वर ने नारी को सहज,सरल और कोमल बनाया है कुर नहीं। निर्माण के लिए सहज सरल और कोमल स्वभाव आवश्यक है। विध्वंश के लिए कूरता आवश्यक है। रानी लक्ष्मीबाई हो या अन्य कोई वीरांगना अपनी सहनशक्ति की सीमाओ को टुटने देखकर ही और किन्ही अन्य कारणों से स्वयं को अरक्षित अनुभव करके ही क्रोध की ज्वाला पर चढी। यहां तक़ कि इंदिरा गांधी भी नारी के सहज स्वभाव से परे नहीं थी। सिंडिकेट से भयभीत इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। अन्यथा इंदिरा केवल एक नारी थी। नारी को अपने मातृत्व पर ध्यान देना चाहिए। वह पुरुष की प्रतिद्ववंदी नहीं हैं। अपितु वह पुरुष की सहयोगी और पूरक है। पुरुष को भी इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थ जीवन इसी भाव से चलता है। नारी अबला है। अपनी कोमलता के कारण अपने मातृत्व के कारण उसके भीतर उतना बल नहीं है जितना पुरुष के भीतर होता है। इसलिए पहले पिता, पति और फिर वृध्दावस्था में उसका पुत्र उसका रक्षक है। वह घर की चार दीवरी से बाहर निकले यह अच्छी बात है उसकी स्वतंत्रता का तकाजा है। किंतु यह स्वतंत्रता उसकी लज्जा की सीमा से बाहर उसे उच्श्रृंखल बनाती चली

जाए तो यह उचित नहीं है। इसी से वह हठीली और दुराग्रही बनती है। जिससे गृहस्थ जीवन में आग लगती है, और मामले न्यायालयों तक जाते है। समाज की वर्तमान दुर्दशा से निकलने के लिए नारी और पुरुष दोनों कों ही अपने अपनी सीमाओं का रेखाकन करना होगा तभी हम स्वस्थ समाज की संरचना कर पाएंगे।

1. **महिला सशक्तिकरण का अर्थ** :— महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि स्त्री पुरुषो के बीच शशक्ति सन्तुलन में ऐसा परिवर्तन करना, ताकि समाज में शक्ति का समानता पूर्वक वितरण हो सके। इस प्रक्रिया के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक दोनो ही पक्ष है। आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ है ऐसी पोषणीय जीविकाओ द्वारा बेहतर ढंग से जीवन यापन जिसकी स्वामिनी और प्रबनधक महिलाये ही होती है। महिला के सामाजिक शक्तिकरण का तात्पर्य हैं ऐक समानता पुर्ण सामाजिक व्यवस्था जिनमें स्त्री एवं पुरुष की परिस्थिति समान हो। राजनैतिक सशक्तिकरण का तात्पर्य एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली से है जो राजनैतिक निर्वाचन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी एवं नियन्त्रण की समर्थक हो।

महिला सशक्तिकरण की परिभाषा :—

- **सुविख्यात महिला समाज कार्यकर्ता श्रीमति लताबाटलीवाला के अनुसार** :— महिला सशक्तिकरण वह प्रकिया है, जिसके द्वारा महिलायें दैहिक एवं भौतिक संसाधनों के उपर अधिक नियन्त्रण प्राप्त करती है तथा समाज की सरचना में महिला के प्रति होने वाले लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी जाती है तथा सामाजिक पारिवारिक एवं व्यक्तिगत निर्णयों में महिलायें पुरुषों के समान सक्षम होती हैं।
- **सामान्य शब्दों में** :— महिला सशक्तिकरण किसी भी महिला का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, लैंगिक, अध्यात्मिक सशक्तिकरण है।

महिला सशक्तिकरण के बाधक कारक (समस्या) :—

1.पुरुष प्रधानता :— हमारे देश में पुरुष प्रधानता की मनोवृति है जिसके कारण महिलाओं को प्रगति के अवसर नहीं मिल पाते है।

2.असामनता :— आज भी कहीं—महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है।

3.अशिक्षा :— महिला की अशिक्षा उनके सशक्तिकरण में बहुत बडी बाधा है आज भी बहुत महिलाएँ शिक्षित नहीं है।

4. कन्या भ्रुण हत्या और लिंग के अनुसार गर्भपात :—भारत में पुरुषों का लिंगानुपात बहुत अधिक है जिसका मुख्य कारण है कि कई लडकिया व्यस्क होने से पहले ही मर जाती है। भारत में पुरुषों का उच्चस्तरीय लिंगानुपात कन्या शिशु हत्या और लिंग परीक्षण सम्बधी गर्भपातो के लिऐ जिम्मेदार है।

5.पितृसत्तात्मक :— भारत जैसे देश में प्रारम्भ से ही पितृसत्तात्म प्रकिया चली आ श्रही है। जिसके कारण वंश का नाम पिता के नाम से ही चल रहा है इसमें महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो की एक बडी समस्या है।

6.जागरुकता का बभाव :— महिलाएँ आज भी अपने अधिकारों के प्रति जागरुक नहीं है या जागरुक नहीं होना चाह रही है जो कि एक गम्भीर समस्या है।

अध्याय – 02

(I)शोध प्रक्रिया एवं विधि

- परिचय
- अध्ययन की समस्या
- साहित्य का पुर्नअवलोकन
- शोध का उद्देश्य
- अध्ययन की आवश्यकता
- उपकल्पना
- शोध विधि
- सार्वभौमिक अध्यन क्षेत्र का परिचय

(II) निदर्शन

- अर्थ
- परिभाषा

(III) उपकरण की सामग्री

(IV) आंकडो का संकलन

(V) अध्ययन की सीमाएँ

(VI) तथ्यों के आंकलन में समस्या

अध्याय – 2
शोध प्रकिया एवं विधि

प्रकिया तंत्र या अभिकल्प से आशय अनुसंधान समस्या का चुनाव करने पश्चात उसकी प्रकृत्ति तथा उसमे संबंधित पूर्व सूचना के आधार पर यह निश्चित करना आवश्यक होता है। कि अध्ययन किस प्रकार का होना चाहिए। अनुसंधान तथ्यों का वितरण मात्र होगा अथवा कोई उपकल्पना उसके द्वारा निर्मित होगी अथवा उसमें परीक्षण और प्रयोग का अधिक महत्व रहेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अनुसंधान प्रारम्भ करने से पूर्व जो एक रुपरेखा बनाई जाती है उसे अनुसंधान प्ररचना या अनुसंधान अभिकल्प या प्रकिया तंत्र कहा जाता है।

सनफोर्ड के अनुसार – एक शोध अभिकल्प उस तार्किक पद्वति को प्रस्तुत करता है, जिसमें व्यक्तियों एवं अन्य इकाईयों की तुलना एवं विश्लेषण किया जाता है। यह आंकड़ो के विवेचन का आधार है। अभिकल्प की तुलना का आश्वासन दिलाना है। जो विकल्प के लिए विवेचनों से प्रभावित नहीं है।

शोध परियोजना :–

इस रहस्यमयी जगत मे न जाने कितने रहस्य छिपे हुए है। अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण मानव उन्ही रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए वो अज्ञात वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा तत्पर रहता है यह तत्परता इसकी सभ्यता,ज्ञात और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचायक है।

इस तत्परता का उद्देश्य ज्ञान विस्तार, अस्पष्ट ज्ञान का स्पष्टीकरण तथा विद्यमान ज्ञान का सत्यापन होता है इसी को शोध कहते है। शोध में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित कार्य योजना को परियोजना कहते है।

अनुसंधान :–

सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने से पहले यह जान लेना अनिवार्य है कि अनुसंधान या शोध कहते है। अनुसंधान शब्द अंग्रजी के त्मेमंतबी शब्द का हिन्दी रुपान्तरण है जिसे दो भागों में त्म तथा मंतबी में विभाजित किया जा सकता है। पहले अर्थात त्म शब्द का अर्थ है पुनः जबकि दूसरे अर्थात मंतबी शब्द का अर्थ है **खोज करना** अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ **पुनः खोज करना है।**

दि न्यू सेन्चुरी डिक्शनरी के अनुसार :– अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में विशेष रुप से सावधानी के साथ खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्वांतो का अन्वेषण करने के लिए विषय–साम्रगी की निरन्तर सावधानीपूर्वक पूछताछ अथवा जॉच पड़ताल करना है।

परिभाशा :–

सी.बी गुड के अनुसार :–आदर्श रुप मे अनुसार किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निश्पक्ष रुप से किया जाने वाला अन्वेशण हैं। जिसमें यथासम्भव प्रमाणित तथ्यों में अन्तर निर्वचन तथा सामान्य रुप से सामान्यीकरण को आधार रुप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है।

यंग के अनुसार :– सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके कमबद्व पारस्परिक संबंधों,कारणों की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्वती है।

अध्ययन की समस्या :–

किसी भी शोध कार्य को करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में महिलाओं की आज भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनके प्रति लोगो की गलत सोच महिलाओं के प्रति हो रही घरेलु हिंसा,भ्रूण हत्या व बलात्कार जैसे मामले अत्यंत गंम्भीर

है। महिलाओं को उनके पारिवारिक निर्णयों में अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। पुरुश प्रधान मनोवृति का समर्थन तथा वे आज भी अपनी प्रस्थिति के लिए प्रयासरत है।

साहित्य का पुनर्वअवलोकन :–

भारत में अतीत से ही नारी का सर्वोपरि स्थान रहा है,परन्तु गत वर्षों में महिलाओं की स्थिति में काफी बदलाव आये है। कुछ क्षेत्रों मे जहां यं बदलाव सम्मानजनक एवं सकारात्मक है। वहीं कुछ जगहों पर ये नारियों के प्रतिकूल साबित हो रहे है। हालाकि केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने इस सम्बंध में कई प्रयास किये है। किन्तु इसमें वे पूर्णरुपेण सफल नहीं हो पाए है। स्पष्ट है कि योजनाओं की सफलता के लिए उसके लाभर्थियों के सहयोग की उतनी ही अहमियत है, जितनी कि अन्य बातें। यह भी सच है कि आज महिलाओं ने अपने आपको मुख्यधारा मे शामिल कर लिया है। इसी संदर्भ में यह अंक खासकर महिलाओं पर केन्द्रित है। स्त्री और पुरुष के बीच समानता का सिद्धान्त भारत के संविधान कि प्रस्तावना मौलिक अधिकारो और कर्तव्यों तथा नीति–निर्देशक सिद्धान्तों में अंतनिर्हित है। संविधान न केवल महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है,बल्कि सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है िकवह महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए सकारात्मक कदम उठा सके। पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974.78द्ध और उसके बाद से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति उल्लेखनीय परिवर्तन आया है और यह कल्याण से आगे बढता हुआ महिलाओं के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। हाल के वर्षो में महिला सशक्तिकरण उनकी हैसियत के निर्धारण का मुख्य विष्य माना जाने लगा है। पिछले कुछ वर्षो में इसे व्यापक नीतिगत समर्थन मिला है। लेकिन यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि हम इन उद्देश्यों और विभिन्न सामाजिक समूहों एवं क्षेत्रों की महिलाओं की आवश्यकताओं की प्राप्ति कहा तक करा सके है?

महिला सशक्तिकरण एक एकीकृत बल का बोध कराता है।

शिक्षा अपने व्यापक अर्थो मे मात्र साक्षरता ही नहीं है, बल्कि यह एक जीवन–दर्शन के रुप में भी उपयोगी है। ऐसा कहा भी गया है कि **दस पुरुषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपुर्ण है।** क्योकि एक महिला को शिक्षित करने से एक परिवार शिक्षत होता है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि साक्षरण का अभाव उनके पिछड़ेपन, शोषण तथा उत्पीड़न का एक अहम कारण है।

हम महिलाओं की प्राथमिक जरुरतों को पूरा करने में भी विफल रहे है। इसलिए महिलाओं को उपलब्ध अवसर बढाने होगे, ताकि, वे अर्थोपार्जन कर स्वावलंबी बन सके। स्त्री –पुरुष समानता द्वारा समस्त आर्थिक क्षेत्रों की कार्यकुशलता बढाई जा सकती है। समय आ चुका है कि पितृसत्तात्मक मैच को बिलकुल नकार दिया जाए।

शोध का उदेश्य :–

1 समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को जानना।
2 महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक, परिवारिक, समस्याओं का अध्ययन करना।
3 समाज में महिलाओं की दोहरी भुमिका को जानना।
4 महिलाओ को उनके अधिकारो के प्रति जागरुग करना।
5 महिलाओं की परिवारिक निर्णय में भागीदारी को जानना।
6 महिलाओ की राजनीति में रुचि को जानना।
7 महिलाओ के उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
8 महिलाओं की राजनीति में रुचि को जानना।
9 समाज में महिलाओ के शैक्षित स्तर का पता लगाना।
10 समाज में महिलाओं की सांस्कृतिक एवं रुढिवादी विचारधारा का अध्ययन करना।

अध्ययन की आवश्यकता :–

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व को समझना किसी भी अध्ययन के लिए आवश्यक होता है जब किसी विषय पर शोध किया जाता है तब यहां आवश्यक होता है कि विषय के लिए शोध की आवश्यकता है कि नही समाज में महिलाओं के अधिकार सरगुजा जिले के संदर्भ में वर्तमान स्थिति में शोध की अध्ययन की आवश्यकता है।

महिलाओ के प्रति अपराध लगातार बढ रहे है बलात्कार जैसी घटनाएँ लगातार हो रही है आज हम इतना ज्यादा विकास की ओर बढ चुके है शिक्षा का स्तर

बढ गया है योजनाएँ समाज में कियान्वित है फिर भी हम महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला पा रहे है।

विषय से संबंधित उपकल्पनाएँ :–

कोई भी शोध अनुसधान करने से पहले अनुसंधानकर्ता को उस विषय के संबंध में पूर्ण नियोजन चिन्तन या विचार विमश करना पडता है जो अस्थायी रुप से होता है। जिससे कि अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान एवं लक्ष्यों की प्राप्ति मे एक दिशा निर्धारित होती है। जिज्ञासा एवं चिंतन मानव की मूल प्रवृत्तियॉ होती है एवं वही वैज्ञानिक आधार के केन्द्र बिन्दु भी है। चिंतन को प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर ही भागों में विभाजित करतें है–

1 अनुसंधान के पूर्व चिंतन

2 अनुसंधान के पश्चात का चिंतन

अनुसंधान के पुर्व हम अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में एक निश्चित अवधारणा को ही उपकल्पना कहा जाता है।

गुड़ तथा हट्ट के अनुसार :– उपकल्पना इस बात का वर्णन करती है कि हम क्या देखना

चाहते है, उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सहीं शिक्षा हो गलत भी।

शोध से संबंधित उपकल्पनाएँ :–

महिलाएँ अपने अधिकारी के लिए पहले से अधिक जागरुक हुई है।
आज की महिलाऐं अपने परिवारिक दायित्वों का निर्वहन के साथ–साथ बाह्य दायित्वों का उचित निर्वहन कर रही है।

आज की महिलाएँ रुढ़िवादिता त्याग कर समाज में कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है।

आज की महिलाएँ पाश्चात्य् संस्कृति को अपनाते हुए समाज में सतुलन के लिए प्रयास–रत है।

समाज के विकास के लिए महिलाओं की दोहरी भूमिका आवश्यक है।

शोध विधि–

शोध विधि में वर्णनात्मक अनुसंधान को लिया है, इसका उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण यथार्ध एवं विस्तृत तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई इसमें वास्तविक तथ्यों का संकलन प्राप्त किया गया और तथ्यों के आधार पर समस्या का वर्णनात्मक वितरण तथा चित्रण प्रस्तुत किया गया,इस प्रकार कि अनुसंधान की मूल आवश्यकताएँ यथार्थता अथवा पुर्ण सूचनाएँ है।

सार्वभौमिक अध्ययन क्षेत्र का परिचय

(सरगुजा की संक्षिप्त जानकारी)

सरगुजा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। जिला का मुख्यालय अंम्बिकापुर है। भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में आदिवासी बहुत जिला सरगुजा स्थित है। इस जिले के उत्तर में उत्तरप्रदेश राज्य की सीमा हैं, जबकि पूर्व में है। जबके पश्चिम में कोरिया जिला है।

स्थिति :–

जिले का अक्षाशीय विस्तार 230.37श 25श से 240 6श 17श्श उत्तरी अक्षांश और देशांतरिय विस्तार 810.37श25श्श से 840 4श 40श्श पूर्व देशान्तर तक है। इस जिले की समुद्र तट से उचाई लगभग 609 मीटर है। वर्तमान सरगुजा का क्षेत्रफल 16.359 वर्ग कि.मी. है।

स्थापना :–

इस जिले की स्थापना 1 जनवरी 1948 को हुआ था जो 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य के निमार्ण के तहत मध्यप्रदेश में समिल कर दिया गया 1 नवम्बर 2000 जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से अलग हुआ तब सरगुजा जिला को छत्तीसगढ़ राज्य में सामिल कर लिया गया। वर्तमान में सरगुजा जिला पुनः दो और भागो में विभक्त हो गया जिसमें नये जिले के रुप में सुरजपुर और बलरामपुर जिला का निर्माण हुआ।

सरगुजा जिला में :–

तहसील – 19

ब्लाक – 07

ग्राम पंचायत – 980

पुलिस जिला – 03

विकासखण्ड़ – 07

विधानसभा क्षेत्र – 08

निदर्शन :–

निदर्शन किसी समय का ऐसा भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। समद्र परिश्रम और धन की बचत करके समग्र का अध्ययन करने के लिए हम निदर्शन का चयत करते है। दैनिक जीवन मे भी हम प्रायः निदर्शन का प्रयोग करते है। कुछ को समझ कर सबके बारे में अनुमान लगा लेने की विधि को ही निदर्शन कहा जाता है। समग्र मे कुछ इकाईयो को चयन करने पध्दती ही निदर्शन है।

उपकरण की सामग्री :–

(1) प्राथमिक स्त्रोत –

(अ) अनुसूची (ब) साक्षात्कार (स) व्यक्तिगत अध्ययन (द) समूह चर्चा (इ) अवलोकन प्रकिया (उ) साक्षात्कार निर्देशिका

(2)द्वितीय स्त्रोत – (अ) किताबे (ब) मैगजीन (स) इन्टरनेट

(अ) अनुसूची –

टनुसूची वास्तव मे प्रश्नो की एक लिखित सूची है। जिससे की अनुसधानकर्ता अपने अध्ययन विषय की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार करता है। जिससे की उन प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित व्यक्तियों से मालुम किया जा सकें और इस प्रकार आवश्यक सूचना प्राप्त करने की प्रकिया को एक व्यवस्थित रुप मिलें ।

परिभाषा :–

बोमार्द्वस के अनुसार :– अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारित प्रभाती को

प्रतिनिधित्व करती है जो वैषविक रुप में है तथा सरलता से प्रत्पेक्ष योग्य है।

प्रश्नों का चयन :– प्रश्नो का चयन मैने अनुसूची में विभिन्न में विभिन्न क्षेत्रो से किये है –

जो इस प्रकार है –

1 व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विवरण
2 अधिकार सम्बधी विवरण
3 उच्च शिक्षा सम्बधी प्रश्न
4 योजना सम्बधी प्रश्न
5 मधनिषेध सम्बधी प्रश्न
6 अंधविश्वास एवं रुढिवादिता सम्बधी
7 मताधिकार सम्बधी
8 पाश्चात्य संस्कृति से सम्बधित प्रश्न आदि

(ब) साक्षात्कार :–

साक्षात्कार दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियो की एक बैठक है।

जिसमें अनुसन्धानकर्ता सूचनादाताओं से अपनी अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धी औपचारिक रुप में प्रश्न पूछ कर सूचनाएँ एकचित्र करता है। साक्षात्कार अंग्रेजी के शब्द श्श्प्दजमतअपमू श्श का हिन्दी अनुवाद है जिसे दो भागो में प्दजमत तथा टपमू में विभाजित किया जा सकता है। पहले शब्द अर्थात पदजमत का अर्थ है। आन्तरिक या भीतरी तथा दूसरे शब्द अर्थात टपमू का अर्थ है। देखना। इस प्रकार साक्षात्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ ही सूचनादाता के आन्तरिक जीवन को देखता है अर्थात इससे भीतरी तथ्यो की जानकारी प्राप्त करना है।

व्यक्तिगत अध्ययन –

वैयक्तिक अध्ययन का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन से ही लगाया जाता है। जो कि ठीक नहीं है। यह किसी भी सामाजिक इकाई चाहे वह व्यक्ति है या परिवार समिति, संस्था समूह अथवा सम्पूर्ण समुदाय,का विस्तृत एवं

गहन अध्ययन है। अगर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसकी शुरुआत किसी ऐसे दृश्य से होती हैं जिसमें कोई किसी अन्य व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा होता है और फिर इस दृश्य के बाद उस व्यक्ति विशेष क जीवन की सभी परिस्थितियों के बारें में पूरी फिल्म हो तथा अन्त उसी को वैयक्तिक अध्ययन का समरुप माना जा सकता है। इसका प्रयोग मनोचिकित्सा, समाज कार्य तथा सामाजिक अनुसंधान में किसी समस्या अथवा इकाई के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

9 परिभाषा

ओडम के अनुसार :– वैयक्तिक अध्ययन की पध्दति एक ऐसी प्रविधि है

जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत कारक, चाहे वह एक संस्था हो, किसी व्यक्ति 5 के जीवन की एक घटना मात्र हो अथवा एक समूह हो, का अन्य समूह से संबंधिक करते हुये विश्लेषण किया जाता है।

(द) समूह चर्चा :–

समूह चर्चा से आशय यह होता है जब किसी विषय को लेकर एक से अधिक व्यक्तियों के बीच चर्चा की जाती है। तो इस चर्चा को समूह चर्चा कहा जाता है।

(इ). अवलोकन :–

निरीक्षण, प्रेक्षण अथवा पर्यवेक्षण अनुसंधान की एक प्रविधि है जिसका प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में सामग्री या ऑकडो एकत्रित करने लिए किया जाता है। इसका प्रयोग उस सामाजिक व्यवहार घटनाओं एवं परिस्थितियों के अध्ययन के लिए किया जाता है जिन्हें हम घटित होते हुए देख सकते है। यह एक विश्वसनीय प्रविधि मानी गई है क्योंकि एक प्रविधि मानी गई है क्योकि एक प्राचीन कहावत है कि देखकर ही विश्वास होता है। अवलोकन में देखकर ही अध्ययन किया जाता है अतः यह प्रविधि विश्वसनीय ऑकडों के संकलन में सहायक है। किसी घटना परिस्थिति अथवा व्यवहार का कमबध्द रुप में देखकर

किया जाने वाला अध्ययन ही अवलोकन कहलाता है। यह प्रविधि केवल महत्वपूर्ण एवं मूलभूत प्रविधि मानी जाती है।

अवलोकन की परिभाषाएँ

यंग के अनुसार :– अवलोकन आंखो द्वारा पूर्वक अध्ययन की एक प्रविधि है। जिससे कि

समूहिक व्यवहार और जटिल सामाजिक सस्थाओं एवं समय की विभिन्न

इकाईयों का अध्ययन किया जाता है।

(ई) निर्दशन प्रकिया :–

निदर्शत समग्र का एक छोटा भाग या अंश है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। तथा जिसमें समग्र कि मौलिक विशेषताएँ पाई जाती है। दैनिक जीवन मे हम निदर्शन का प्रयोग करते है। जबकी हम चावल, गेहु या कोई अन्य वस्तु खरीदने जाते है तो पहले इसका नमुना देखते है। नमुना ही प्रतिदर्श या निदर्शन है अतः निदर्शन वह पध्दती है जिसके द्वारा समग्र के एक अंश का निरक्षण करके सम्पुर्ण समग्र के बारे में जाना जा सकता है।

परिभाषा :–

गुड़ तथा हट्टा के अनुसार :– एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी विस्तृत

समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है।

ऑकडो का संकलन :–

1 सर्वप्रथम मैने जिस क्षेत्र मे महिलाओं का वैयक्तिक अध्ययन करना था उस क्षेत्र का अवलोकन किया।

2 तत्पश्चात् मैने महिलाओ से सम्पर्क स्थापित किया।

3 इसके बाद मैने उनसे साथ आत्मीय सम्बंध स्थापित किया।

4 फिर मैने अनुसूची से सम्बंधित प्रश्नो को समझाया एवं निर्देश दिया ताकि वे प्रश्नों को भली–भॉती समझ सके।

5 तत्पश्चात मैने ऑकडो का संकलन करने के लिए एक–एक महिलाओं का वैयक्तिक
अध्ययन किया।

अध्ययन की सीमाएँ :–

1 यह अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के संदर्भ में किया गया।
2 मैने अपने शोध में 40 अनुसूची भेरे।
3 एक अनुसूची भरने मे आधे से एक घण्टे का समय लगा।
4 मैने केवल अपने शोध मे महिलाओं से प्रश्न पुझे।
5 अनुसुची मेरे द्वारा उनसे भरवाई गई।
6 उत्तारदाओं की उर्म 20 वर्ष से उपर की है।

तथ्यों के आकंलन मे समस्या :–

शोध के दौरान तथ्यों के आंकलन में मुझे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा :–

1 मेरा अध्ययन क्षेत्र व्यापक होने के कारण मुझे जगह (वार्ड,मुहल्ला) का चुनाव करने मे कठिनाईयॉ हुई।
2 महिलाओं के साथ मुझे सम्पर्क स्थापित करने में समस्या का सामना करना पड़ा।
3 महिलाओं.को मुझ पर विश्वास दिलाने एवं उनके साथ आत्मीय संम्बध बनाने में समस्या का
सामना करना पड़ा।
3 महिलाओं को अनुसुची भरने के लिए बहुत प्रेरित करना पडता था।

अध्याय – 3
वर्गीकरण एवं सारणीयन

अध्याय – 3
तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन

वर्गीकरण :– वर्गीकरण एक ऐसी प्रतिभा है जो संकलित तथ्यों को संक्षिप्त स्पष्ट सरलतम बनाने के साथ उन्हे उनकी समानता व भिन्नता के आधार कुछ निश्चिय वर्गो या समूहों मे व्यवस्थित करता है।

सारणीयन :– जब एकत्रित तथ्यों का समूचित वर्गीकरण कर के उन वर्गीकृत तथ्यो को एक तालिका के अतर्गत कुछ सतम्भों तथा पक्तियों में इस प्रकार सजा दिया जाता है कि तथ्यों की विशेषताएँ एवं तुलनात्मक महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है तो इस प्रकिया को सारणीयन कहतें है।

विश्लेषण :– शौध कार्य मे केवल तथ्यो का पहाड़ एकत्रित कर लेने से ही अध्ययन विषय का वास्तविक अर्थ, कारण तथा परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उन एकत्रित तथ्यों का सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण न किया जाए।

अध्याय – 4

परिणामों की संपूर्ण विवेचना

अध्याय – 4

परिणामों की संपूर्ण विवेचना

1 व्यक्तिगत विवरण :–

(अ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 80% उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृशि है तथा 20% उत्तरदाताओ का व्यवसाय नौकरी है।

(ब) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की उम्र 20 से 55 वर्श है।

(स) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं मे 100% लिंग महिला है।

(द) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 100% उत्तरदाता विवाहित है।

(इ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 85% उत्तरदाताओं का वर्ग सामान्य है 15% का वर्ग अनुसुचित जाति है।

(ई) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 65% उत्तरदाताओं को दसवी कि शिक्षा तथा 35% उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर उच्च है।

(उ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 100% उत्तरदाताओं का जिला सरगुजा है।

तालिका क. 1

2 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाए अपनी अधिकारो से 50% हॉ 30% नहीं 20% कह नहीं सकतें है।

तालिका क. 2

3 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाधिकारो के लिए कभी आवाज 12.5% हॉ 80% नहीं 7.5% कह नहीं सकतें है।

तालिका क. 3

4 प्राप्त आंकडो के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के योजनाओ के बारे में जानकारी 80.5% हॉ 19.5% नहीं है।

तालिका क. 4

4 प्राप्त आंकडो के अनुसार अपने जीवन साथी चुनने में स्वतंत्रता 50% को है 50% को नहीं है।

तालिका क. 5

6 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से 100% जागरुक है।

तालिका क. 6

7 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार में लडका/लडकी में भेद 10% हॉ 90% नहीं करते है।

तालिका क. 7

8 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार के आर्थिक भागीदारी में 70% हॉ 30% नहीं है।

तालिका क. 8

9 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओ का बैक में खाता 100% है।

तालिका क. 9

10 प्राप्त आंकडो के अनुसार दहेज प्रथा के खिलाफ 20% हॉ और 80% नहीं है।

तालिका क. 10

11 प्राप्त आंकडो के अनुसार सभी घर में शौचालय 100% है।

तालिका क. 11

12 प्राप्त आंकडो के अनुसार सभी अपने मताधिकार का उपयोग 100% करती है।

तालिका क. 12

13 प्राप्त आंकडो के अनुसार घुंघट का समर्थन 10% हॉ 90% नहीं करती है।

तालिका क. 13

14 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार नियोजन के बारे में जानकारी 95% हॉ 5% नहीं करती है।

तालिका क. 14

15 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार के बुजुर्ग कार्यो मे रोक टोक 40% हॉ 60% नहीं करते है।

तालिका क. 15

16 प्राप्त आंकडो के अनुसार अपने बच्चो का उचित पालन पोशण प्रदाय 90% हॉ 2. 5% नहीं 7.5% कह नहीं सकते है।

तालिका क. 16

17 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओ को उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु 100% महिलाएँ सहमत है।

तालिका क. 17

18 प्राप्त आंकडो के अनुसार बाल विवाह को उचित 10% हॉ 90% नहीं मानते है।

तालिका क. 18

19 प्राप्त आंकडो के अनुसार प्रेम विवाह को 45% हॉ 52.0% नहीं 2.5% कह नही सकतें है।

तालिका क. 19

20 प्राप्त आंकडो के अनुसार पा चात्य संस्कृति कि पक्षधर 60% हॉ 30% नहीं 10% कह नही सकतें है।

तालिका क. 20

21 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओं कि महिला मण्डली स्वंय सहायता समूह है जिसमें 95% महिलाएँ जुडी है तथा 5% नहीं नही सकतें है।

तालिका क. 1

महिला अधिकार

क0	अधिकार	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	20	50%
2	नही	15	30%
3	कह नही सकते	5	20%
	कुल	**40**	100%

महिला अधिकार

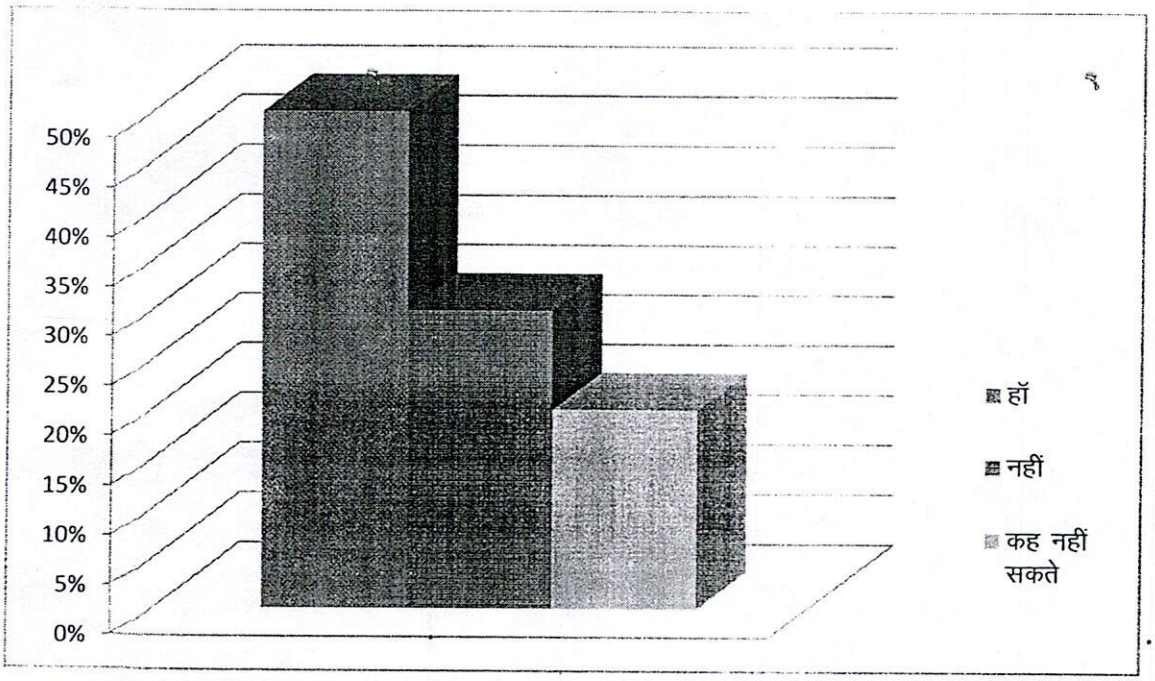

विशलेशण– तालिका के अनुसार 50% महिलाएँ अपनें अधिकारों से परिचित है और 30% तथा 50% कह नहीं सकते है।

निश्कर्श – प्राप्त आंकडो से ज्ञात है कि समाज में ज्यादातर महिलाएं अपने अधिकारो से परिचित है।

तालिका क. 2

महिलाधिकारों के लिए आवाज

क0	आवाज	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	10	12.5%
2	नही	25	80%
3	कह नही सकते	05	7.5%
	कुल	**40**	100%

महिलाधिकारों के लिए आवाज

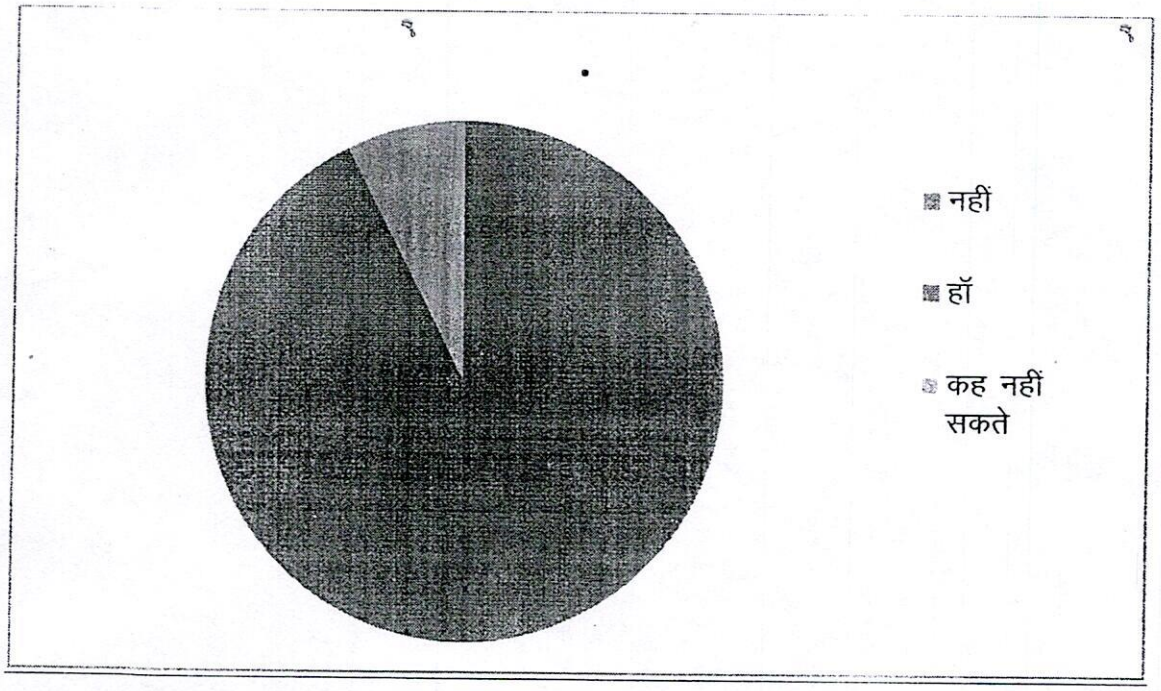

विशलेशण– तालिका के अनुसार महिलाधिकार के लिए 12.5% महिलाओं ने आवाज उठाई 80% ने नहीं तथा 7.5% कह नहीं सकते है।

निश्कर्श – प्राप्त आंकडो से ज्ञात है कि महिलाधिकारो के लिए ज्यादातर महिलाओं ने आवाज नहीं उठाई है।

तालिका क. 3

महिला योजना कि जानकारी

क0	जानकारी	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	27	80.5%
2	नहीं	13	19.5%
	कुल	**40**	100%

महिला योजना कि जानकारी

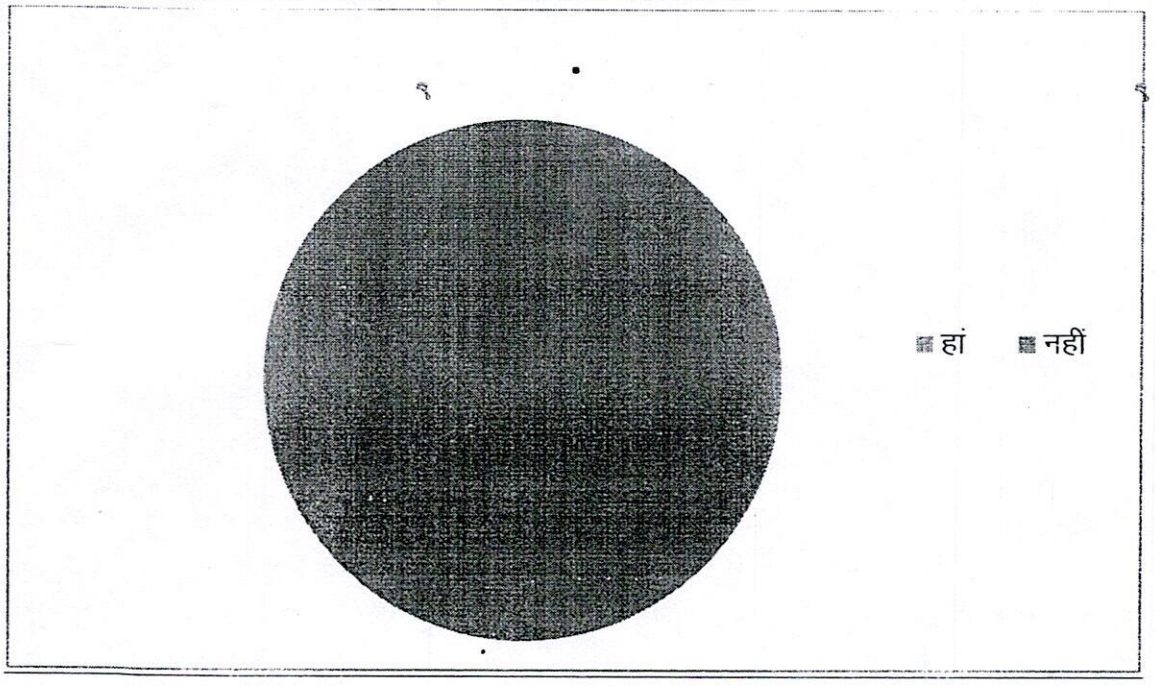

विशलेशण– तालिका के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के योजनाओ के बारे में 80.5% महिलाओं को जानकारी है तथा 19.5% को नहीं है।

निश्कर्श – प्राप्त आंकडो से ज्ञात होता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अधिकतर महिलाओं को जानकारी है।

तालिका क –04

जीवन साथी चुनाव

क0	स्वतंत्रता	आवृति	प्रतिशत
1	हॉ	20	50:
2	नहीं	20	50:
	कुल	40	100:

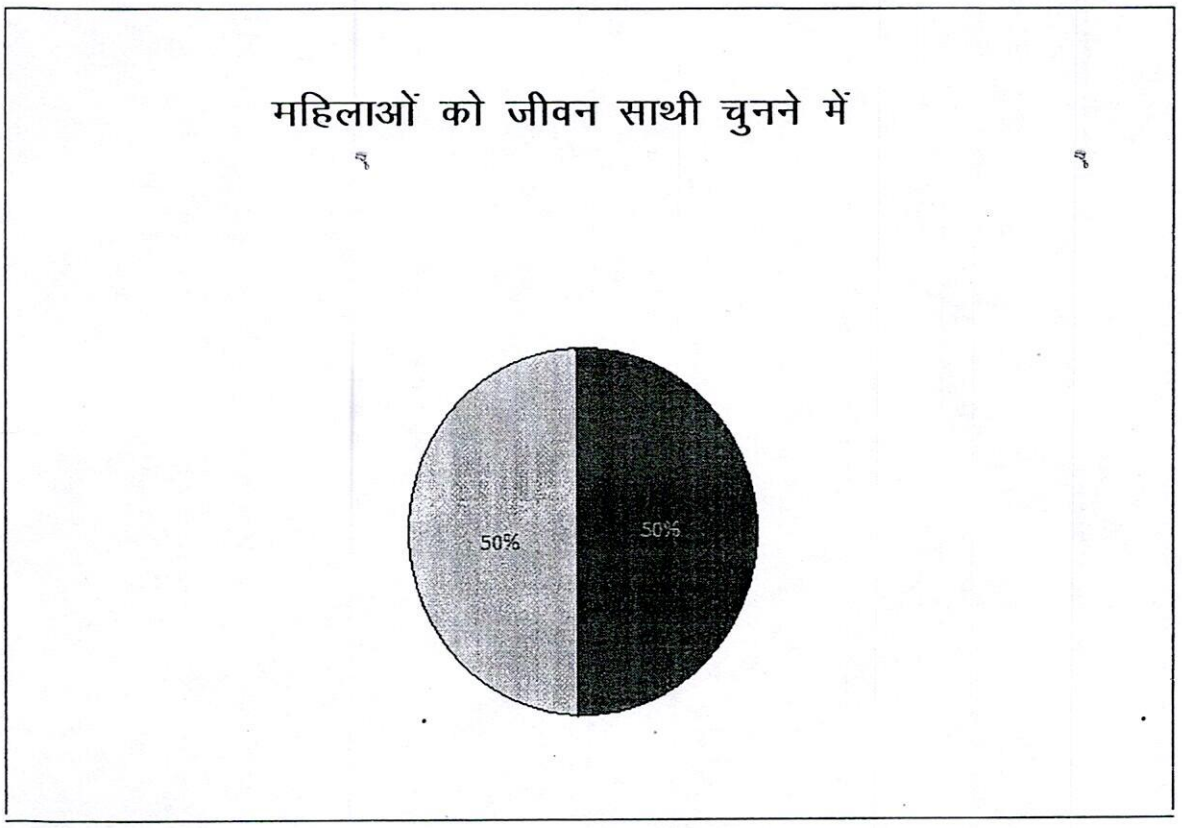

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार परिवार द्वारा 50**%** महिलाओं को जीवन साथी चुनने में स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा 50: महिलाओं को नहीं किया गया।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार जीवन साथी चुनने में परिवार द्वारा स्वतंत्रता दी गई है।

तालिका क. 5

महिलाए अपने अधिकारो के लिए जागरुक

क0	जागरुक	आवृति	प्रतिशत
1	हां	40	100%
2	नहीं	0	0%
	कुल	40	100%

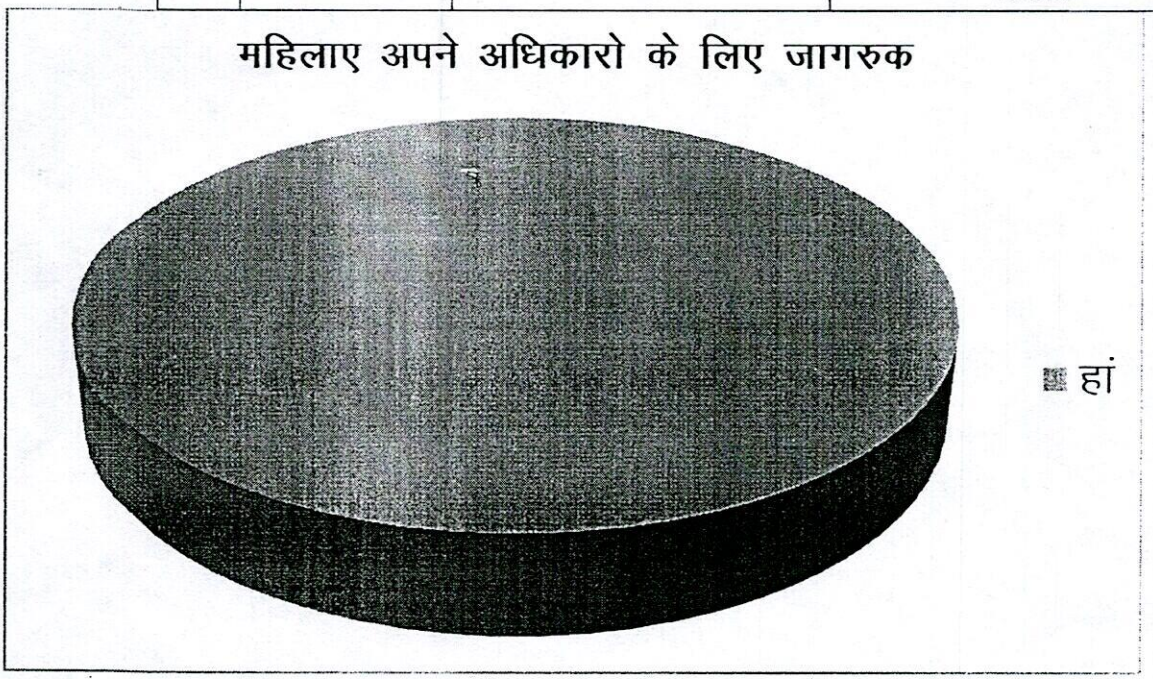

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से . 100% महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से 100% जागरुक है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से जागरुक है।

तालिका क. 6

परिवार में लडका/लडकी में भेद

क0	भेद	आवृति	प्रतिशत
1	हां	08	10%
2	नहीं	32	90%
	कुल	40	100%

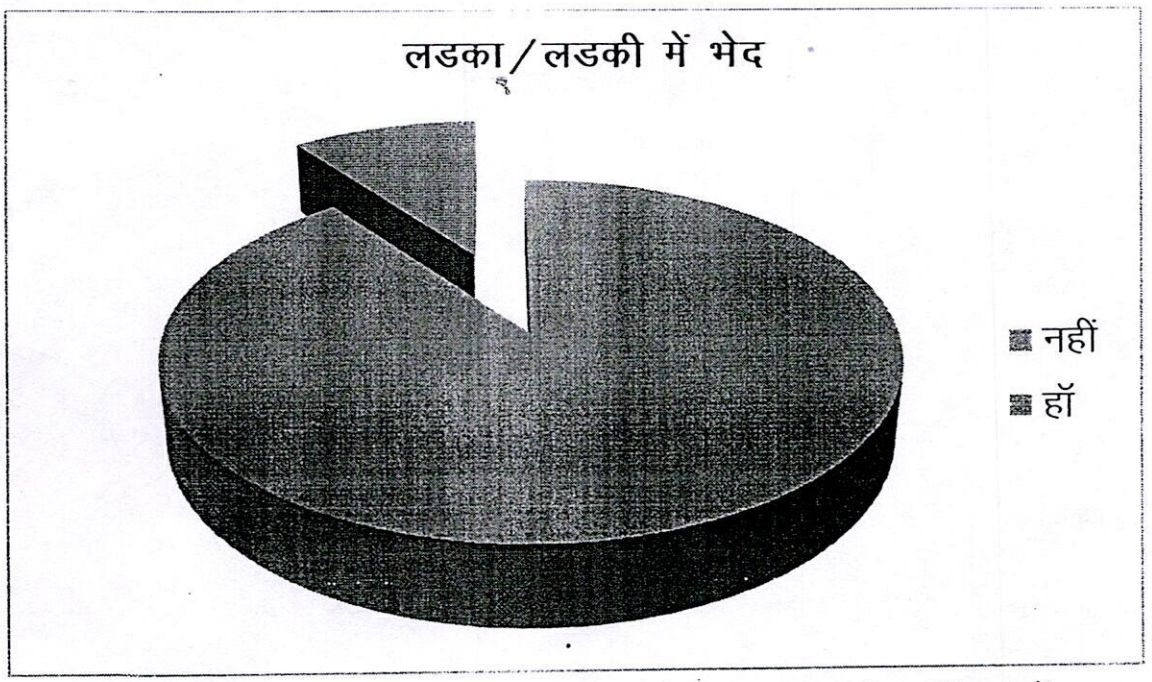

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार परिवार द्वारा 10**%** परिवार में लडका/लडकी में भेद 10% हॉ 90% नहीं करते है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार लगभग परिवारों में लडका/लडकी में भेद नहीं किया जाता है।

तालिका क. 7

परिवार के आर्थिक कार्यो में भागीदारी

क0	भागीदारी	आवृति	प्रतिशत
1	हां	27	70%
2	नहीं	13	30%
	कुल	40	100%

परिवार के आर्थिक कार्यो में भागीदारी

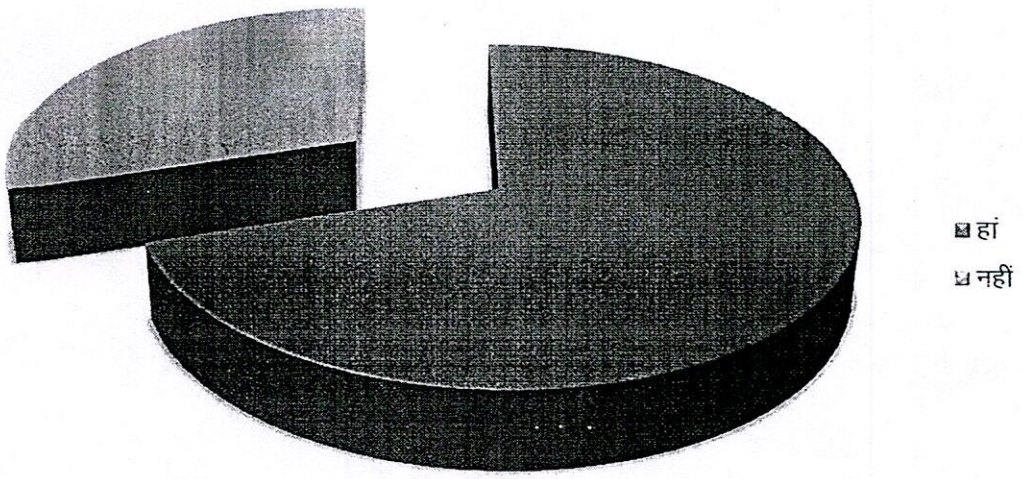

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार परिवार के आर्थिक कार्यो में भागीदारी 70% हॉ 30% नहीं है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार लगभग परिवारों में महिलाओं का आर्थिक कार्यो में भागीदारी है।

तालिका क. 8

महिलाओ का बैक में खाता

क0	बैक मेंखाता	आवृति	प्रतिशत
1	हां	40	100%
2	नहीं	0	0%
	कुल	40	100%

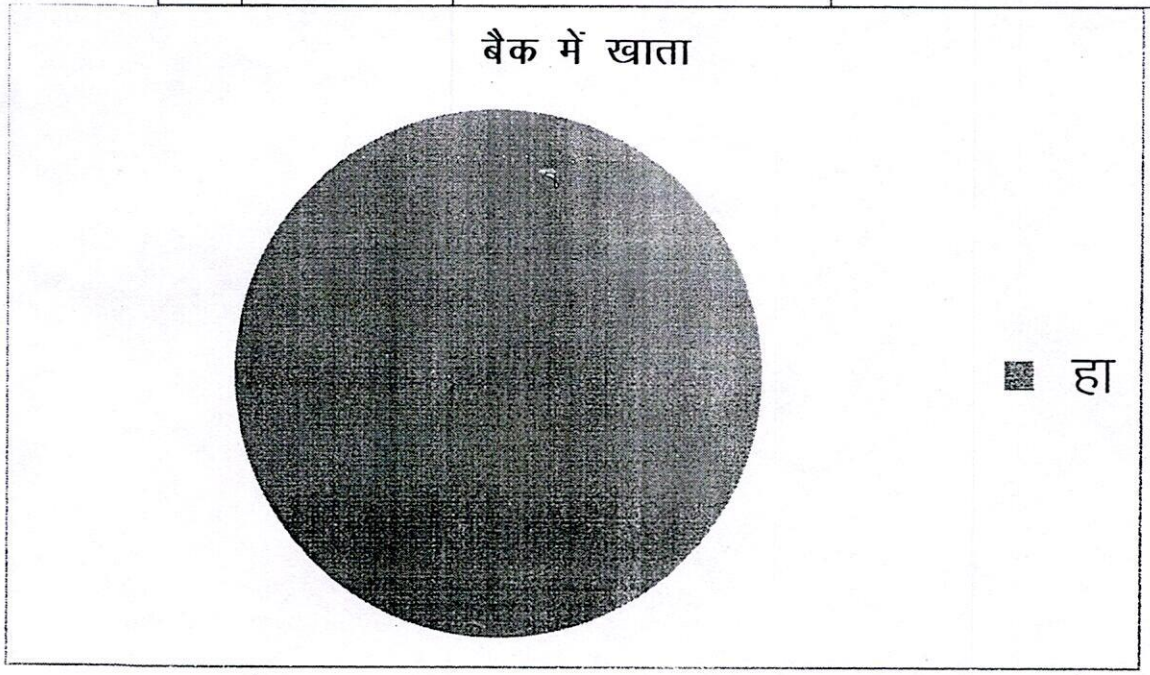

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार महिलाओ का बैक में खाता 100% है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार लगभग सभी महिलाओ का बैक में खाता है।

तालिका क. 9

दहेज प्रथा के खिलाफ

क0	दहेज प्रथा	आवृति	प्रतिशत
1	हां	11	20%
2	नहीं	29	80%
	कुल	40	100%

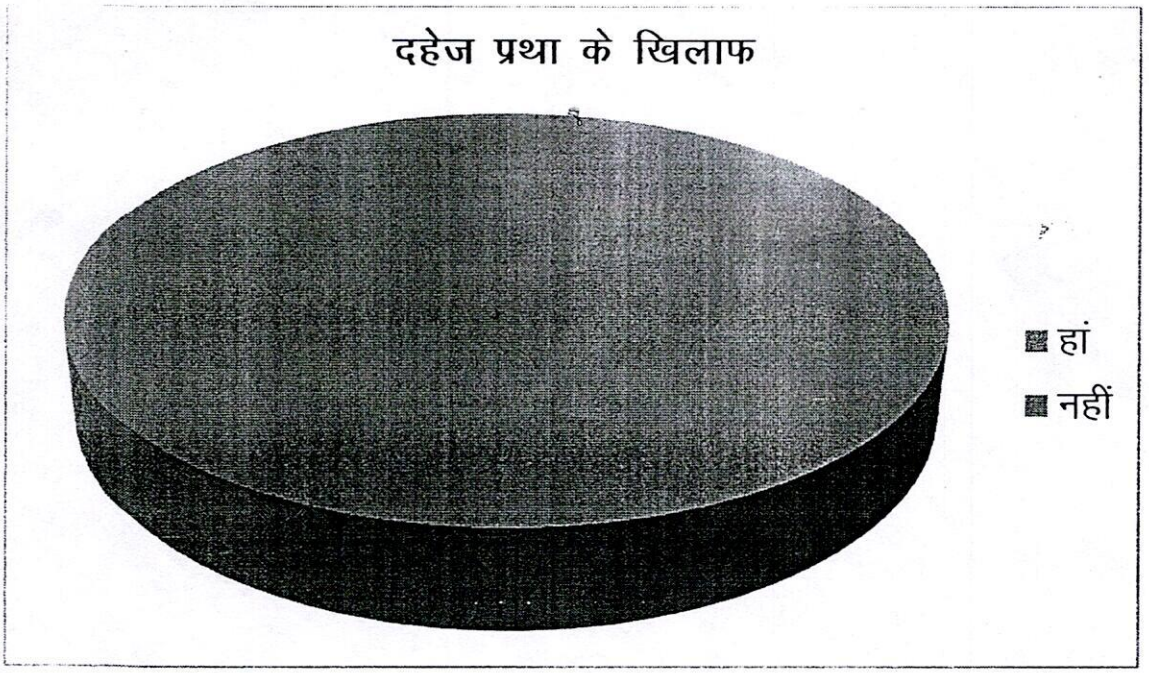

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार दहेज प्रथा के खिलाफ 20% महिलाए हॉ और 80% नहीं है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार लगभग महिलाएं दहेज प्रथा के खिलाफ के है।

तालिका क. 10

घरों में शौचालय

क0	घरों में शौचालय	आवृति	प्रतिशत
1	हां	40	100%
2	नहीं	0	0%
	कुल	40	100%

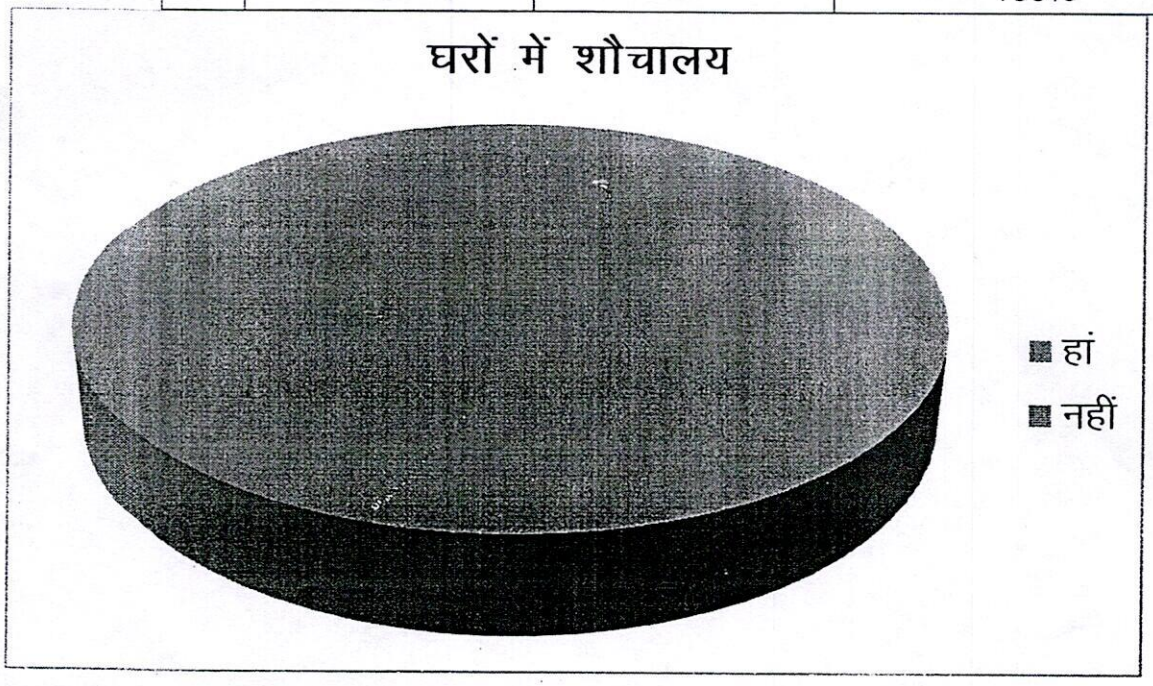

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार सभी घरों में शौचालय 100% है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार सभी घरों में शौचालय है।

तालिका क. 11

मताधिकार का उपयोग

क0	मताधिकार का उपयोग	आवृति	प्रतिशत
1	हां	40	100%
2	नहीं	0	0%
	कुल	40	100%

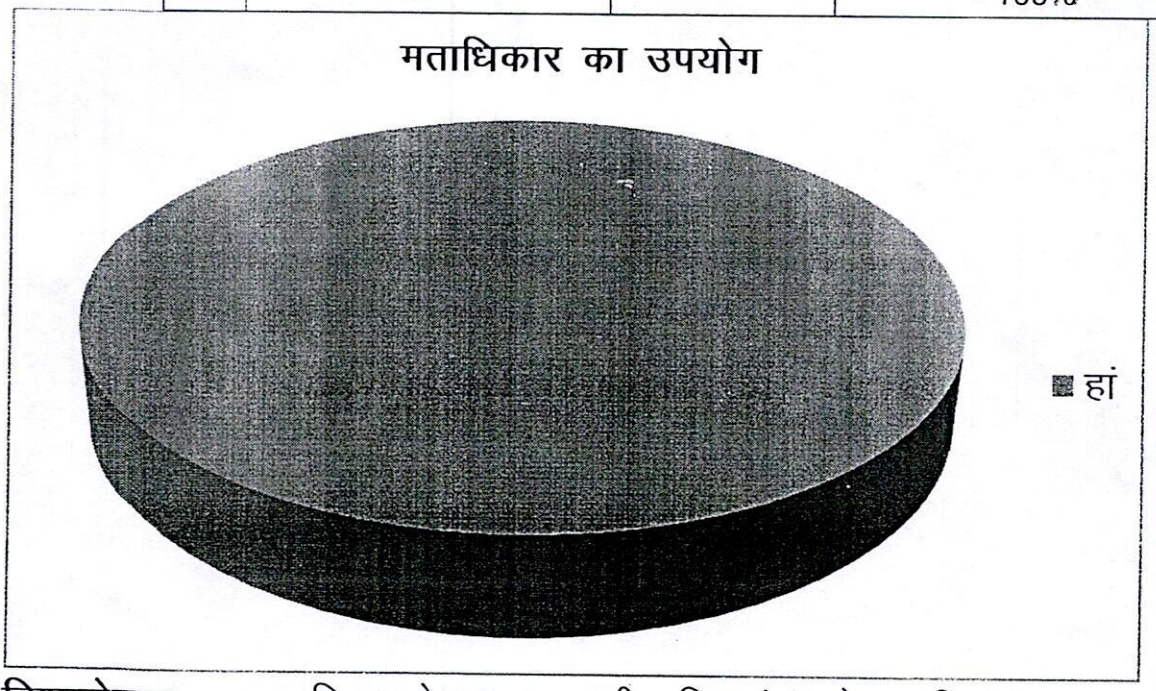

विश्लेषण – तालिका के अनुसार सभी महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग 100% करती है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार सभी महिलाएं अपने मताधिकार का उपयोग करती है।

तालिका क. 12

घुंघट का समर्थन

क0	घुंघट का समर्थन	आवृति	प्रतिशत
1	हां	12	10%
2	नहीं	28	90%
	कुल	40	100%

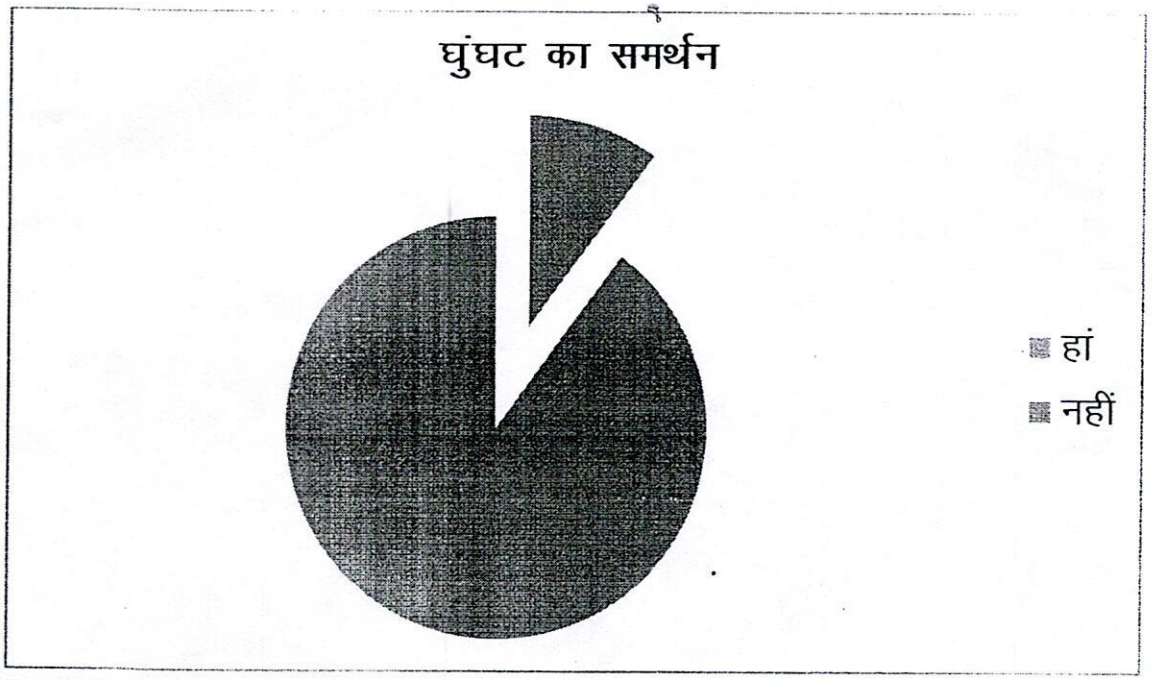

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार घुंघट का समर्थन 10% महिलाएं हॉ 90% महिलाएं नहीं करती है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार अधिकतर महिलाएं घुंघट का समर्थन नहीं करती है ।

तालिका क. 13
परिवार नियोजन के बारे में जानकारी

क0	परिवार नियोजन	आवृति	प्रतिशत
1	हां	32	95%
2	नहीं	08	05%
	कुल	40	100%

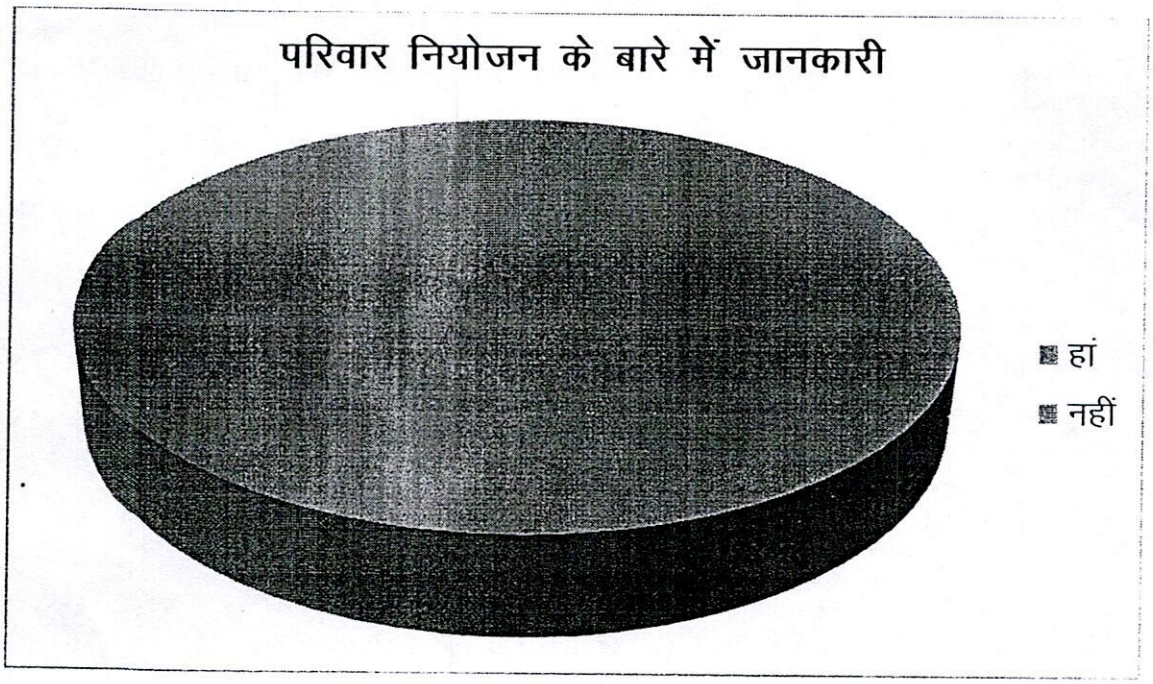

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार परिवार नियोजन के बारे में जानकारी 95% महिलाओं को हॉ 5% नहीं है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार परिवार नियोजन के बारे में जानकारी अधिकतर महिलाओं को है।

तालिका क. 14

परिवार के बुजुर्ग कार्यो मे रोक टोक

क0	कार्यो मे रोक टोक	आवृति	प्रतिशत
1	हां	15	40%
2	नहीं	35	60%
	कुल	40	100%

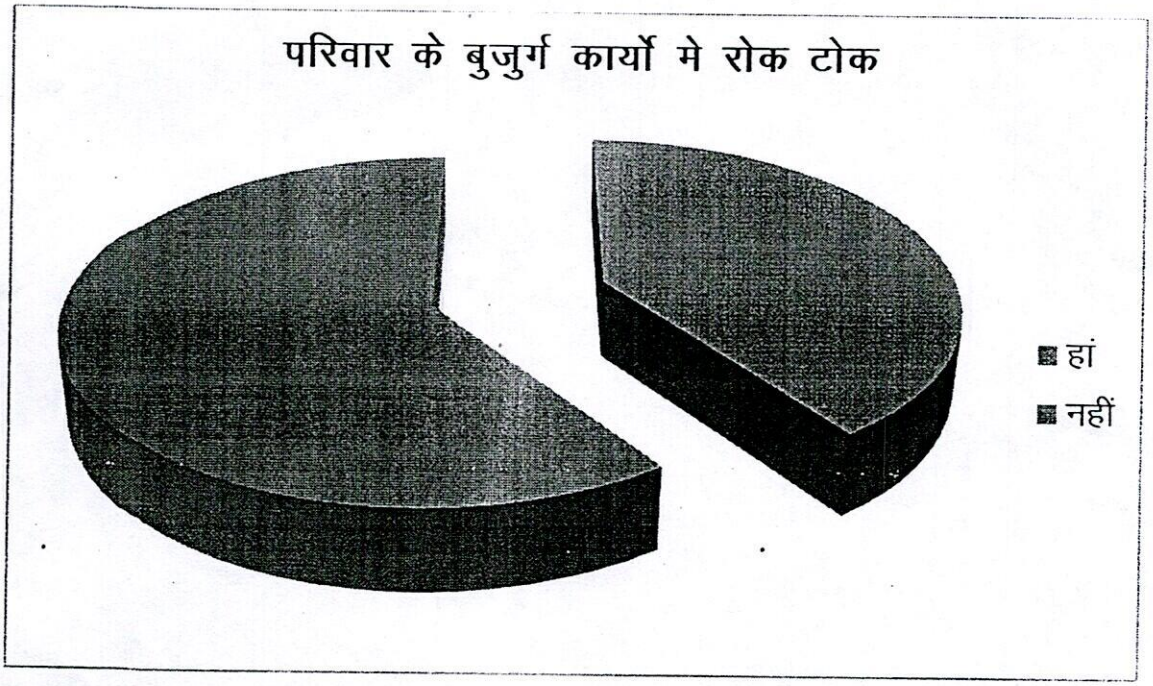

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार परिवार के बुजुर्ग कार्यो मे रोक टोक 40% हॉ 60% नहीं करते है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार परिवार के बुजुर्ग कार्यो मे रोक टोक नहीं करते है।

तालिका क. 15

बच्चो का उचित पालन पोशण

क0	पालन पोशण	आवृति	प्रतिशत
1	हां	28	90%
2	नहीं	4	5%
3	कह नहीं सकते है	8	7.5%
	कुल	40	100%

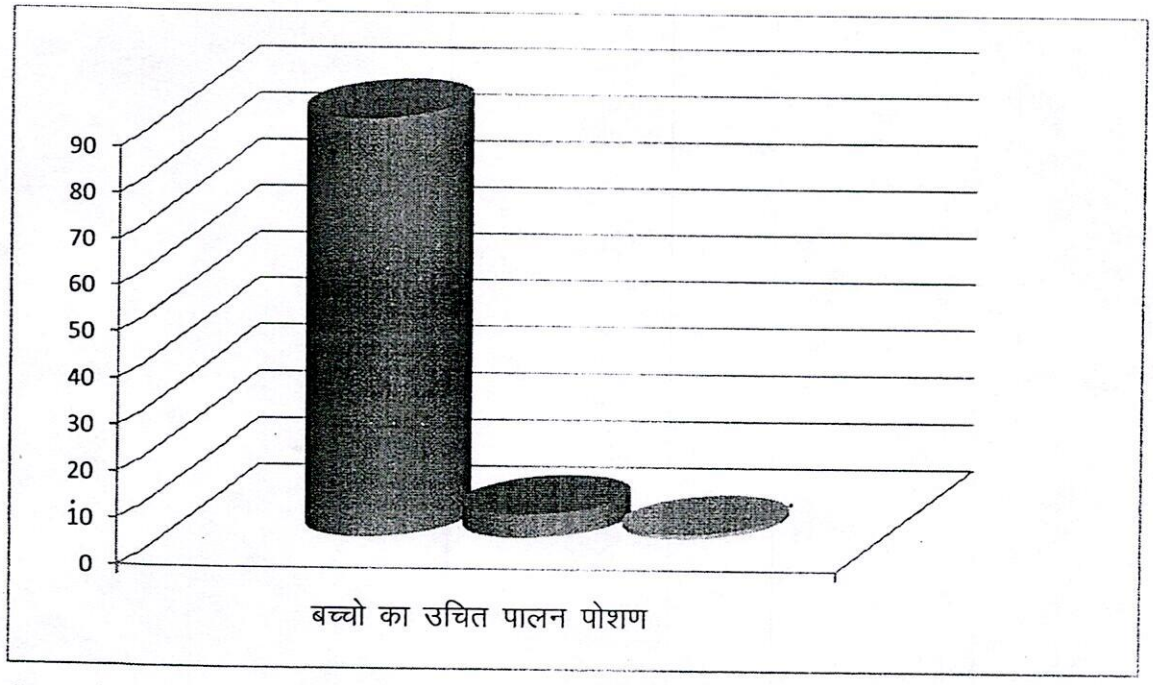

विशलेषण – तालिका के अनुसार अपने बच्चो का उचित पालन पोशण प्रदाय 90% हॉ 2.5% नहीं 7.5% कह नहीं सकते है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार अधिकतर महिलाएं अपने बच्चो का उचित पालन पोशण प्रदान करते है।

तालिका क. 16

महिलाओ को उच्च शिक्षा

क0	उच्च शिक्षा	आवृति	प्रतिशत
1	हां	40	100%
2	नहीं	0	0%
	कुल	40	100%

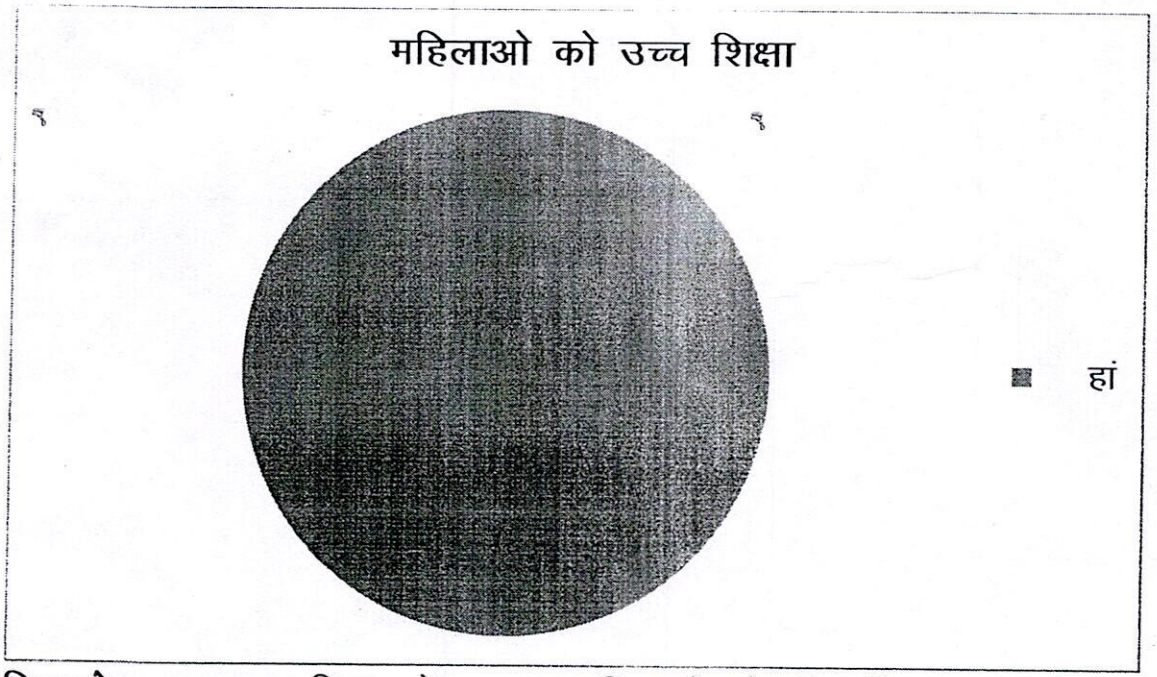

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार महिलाओ को उंच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु 100% महिलाएँ सहमत है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार महिलाओ को उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु सभी महिलाएँ सहमत है।

तालिका क. 17
बाल विवाह

क0	बाल विवाह को उचित	आवृति	प्रतिशत
1	हां	09	10%
2	नहीं	31	90%
	कुल	40	100%

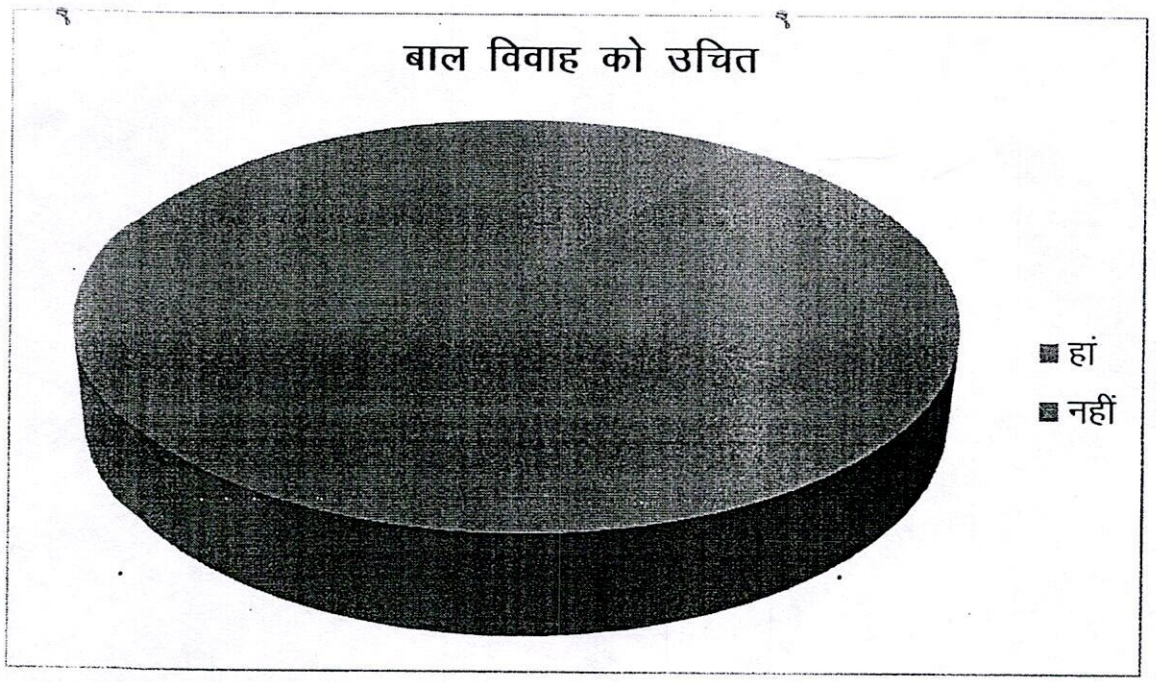

विश्लेषण – तालिका के अनुसार बाल विवाह को उचित 10% हॉ 90% नहीं मानते है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार बाल विवाह को अधिकतर महिलाएं उचित नहीं मानते है।

तालिका क. 18

प्रेम विवाह

क0	प्रेम विवाह	आवृति	प्रतिशत
1	हां	18	45%
2	नहीं	20	52%
3	कह नही सकतें	02	.3%
	कुल	**40**	**100%**

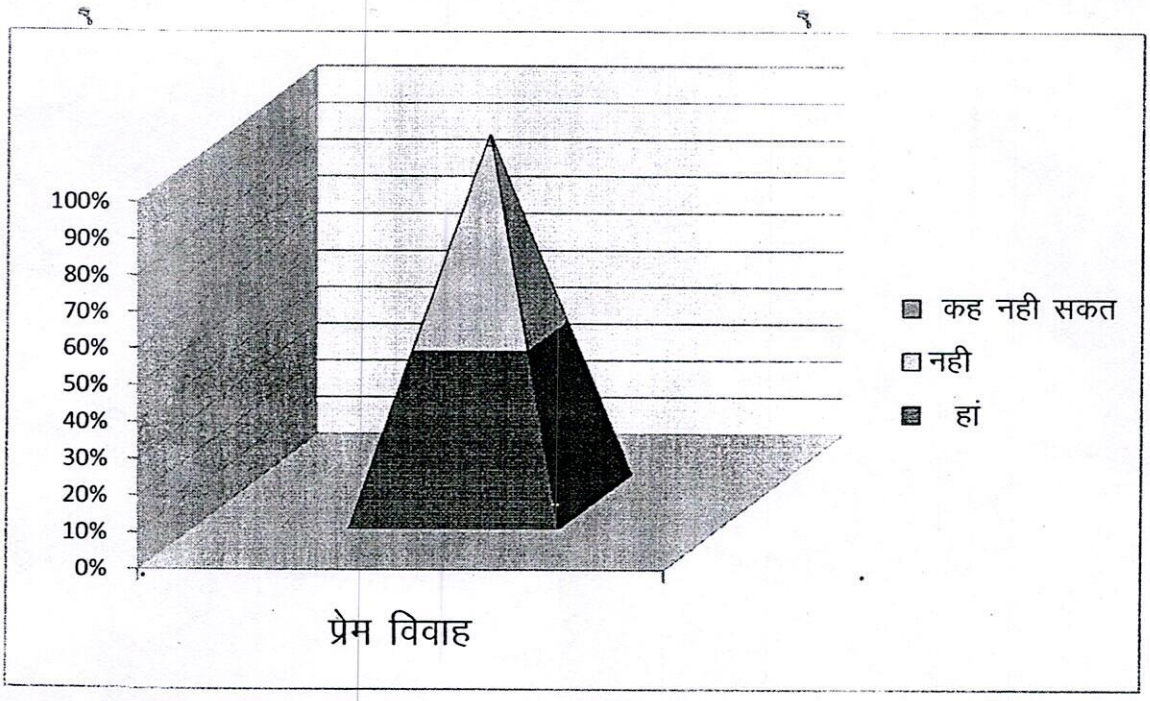

विश्लेषण – तालिका के अनुसार प्रेम विवाह को 45% हॉ 52.0% नहीं 3% कह नही सकतें है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार प्रेम विवाह को अधिकतर महिलाएं उचित नहीं मान्नती हैं।

तालिका क. 19

पा□चात्य संस्कृति के पक्षधर

क0	प्रेम विवाह	आवृति	प्रतिशत
1	हां	25	60%
2	नहीं	10	30%
3	कह नही सकतें	05	10%
	कुल	**40**	**100%**

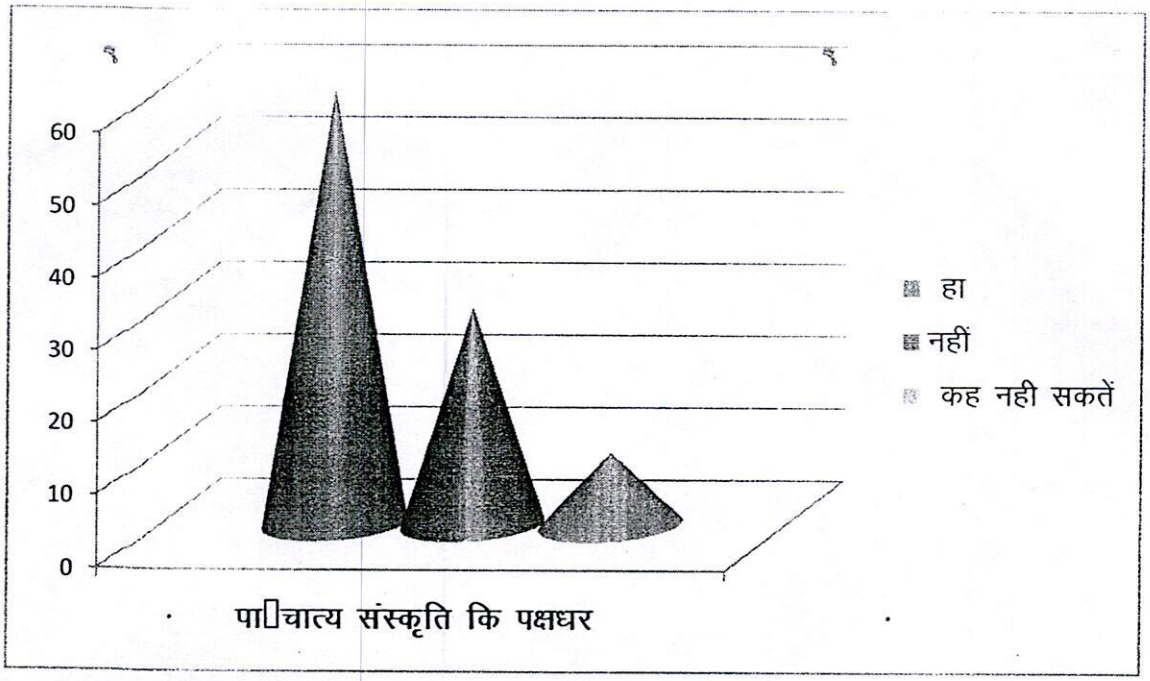

पा□चात्य संस्कृति कि पक्षधर

विश्लेषण – तालिका के अनुसार पा चात्य संस्कृति के पक्षधर 60% हॉ 30% नहीं 10% कह नही सकतें है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार अधिकतर महिलाएं पा चात्य संस्कृति के पक्षधर है।

तालिका क. 20
महिला मण्डली

क0	महिला मण्डली	आवृति	प्रतिशत
1	हां	36	95%
2	नहीं	4	5%
	कुल	40	100%

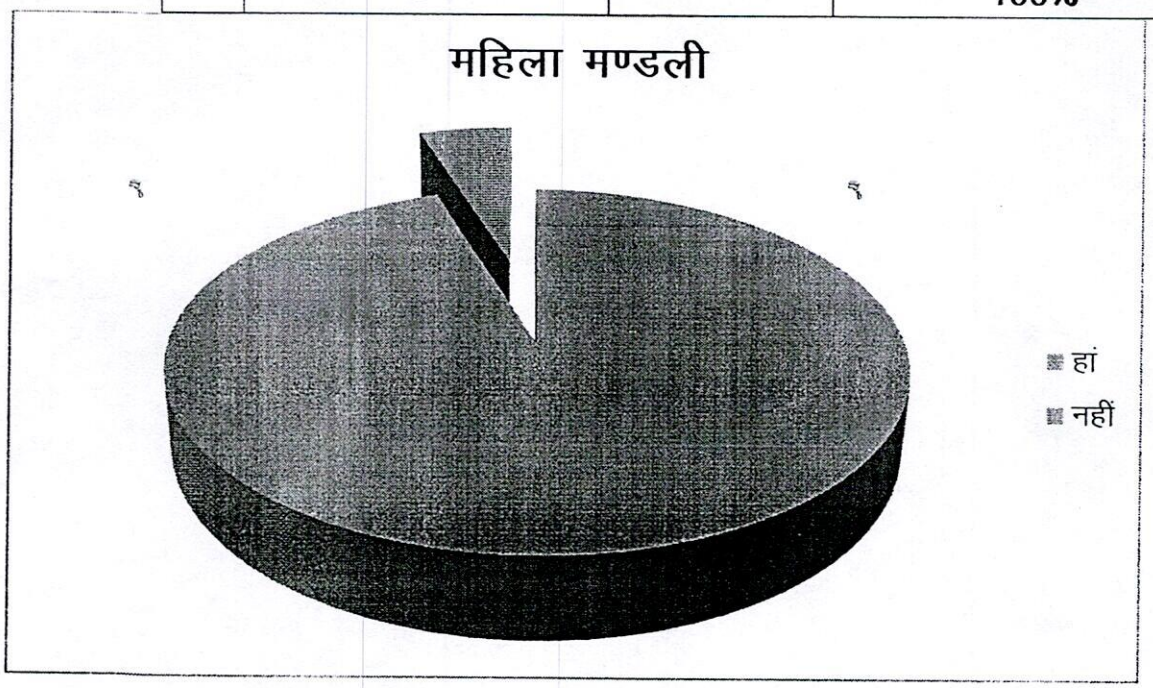

विश्षलेषण – तालिका के अनुसार ज्ञात होता है कि 95% महिलाएँ महिला स्वंय सहायता समूह से जुडी है,तथा 5% नहीं जुडी है।

निष्कर्ष – प्राप्त आंकडों के अनुसार ज्ञात होता है कि अधिकांश महिलाएं समूह से जुडी है।

अध्याय – 5

(I) प्राप्तियॉ एवं निश्कर्श

(II) सुझाव

- उत्तरदाता का सुझाव
- शोधकर्ता का सुझाव
- समाजिक कार्यकर्ता की भूमिका

(I) प्राप्तियॉ

1 व्यक्तिगत विवरण :–

(अ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 80% उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृशि है तथा 20% उत्तरदाताओ का व्यवसाय नौकरी है।

(ब) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं की उम्र 20 से 55 वर्श है।

(स) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि उत्तरदाताओं मे 100% लिंग महिला है।

(द) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 100% उत्तरदाता विवाहित है।

(इ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 85% उत्तरदाताओं का वर्ग सामान्य है 15% का वर्ग अनुसुचित जाति है।

(ई) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 65% उत्तरदाताओं को दसवी कि शिक्षा तथा 35% उत्तरदाताओं की ि ाक्षा का स्तर उच्च है।

(उ) प्राप्त आकडों एवं तथ्यों से ज्ञात होता है कि 100% उत्तरदाताओं का जिला सरगुजा है।

2 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाए अपनी अधिकारो से 50% हॉ 30% नहीं 20% कह नहीं सकतें है

3 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाधिकारो के लिए कभी आवाज 12.5% हॉ 80% नहीं 7.5% कह नहीं सकतें है।

4 प्राप्त आंकडो के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के योजनाओ के बारे में जानकारी 80.5% हॉ 19.5% नहीं है।

5प्राप्त आंकडो के अनुसार अपने जीवन साथी चुनने में स्वतंत्रता 50% को है 50% को नहीं है।

6 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाए अपने अधिकारो के लिए पहले से 100% जागरुक है।

7 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार में लडका/लडकी में भेद 10% हॉ 90% नहीं करते है।

8 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार के आर्थिक भागीदारी में 70% हॉ 30% नहीं है।

9 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओ का बैक में खाता 100% है।

10 प्राप्त आंकडो के अनुसार दहेज प्रथा के खिलाफ 20% हॉ और 80% नहीं है।

11 प्राप्त आंकडो के अनुसार सभी घर में शौचालय 100% है।

12 प्राप्त आंकडो के अनुसार सभी अपने मताधिकार का उपयोग 100% करती है।

13 प्राप्त आंकडो के अनुसार घुंघट का समर्थन 10% हॉ 90% नहीं करती है।

14 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार नियोजन के बारे में जानकारी 95% हॉ 5% नहीं करती है।

15 प्राप्त आंकडो के अनुसार परिवार के बुजुर्ग कार्यो मे रोक टोक 40% हॉ 60% नहीं करते है।

16 प्राप्त आंकडो के अनुसार अपने बच्चो का उचित पालन पोशण प्रदाय 90% हॉ 2. 5% नहीं 7.5% कह नहीं सकते है।

17 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओ को उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु 100% महिलाएँ सहमत है।

18 प्राप्त आंकडो के अनुसार बाल विवाह को उचित 10% हॉ 90% नहीं मानते है।

19 प्राप्त आंकडो के अनुसार प्रेम विवाह को 45% हॉ 52.0% नहीं 2.5% कह नही सकतें है।

20 प्राप्त आंकडो के अनुसार पा चात्य संस्कृति कि पक्षधर 60% हॉ 30% नहीं 10% कह नही सकतें है।

21 प्राप्त आंकडो के अनुसार महिलाओं कि महिला मण्डली स्वंय सहायता समूह है जिसमें 95% महिलाएँ जुडी है तथा 5% नहीं नही सकतें है।

निष्कर्ष

महिलाओ अपने अधिकारों से एवं उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनको जानकारी है तथा वे कभी अगर जरुरत पडे तो महिलाओ के अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहेगी वह महिलाओं के उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु सहमत है लगभग अधिकतर महिलाओं के कम्प्युटर का ज्ञान है महिलाएँ आपनी दोहरी भुमिका को उचित मानती है तथा वह परिवार में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी है महिलाऐं अपनी मताधिकार का उचित उपयोग करती है। लेकिन एक ओर जहां महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो रही है तो दुसरी तरफ उनके प्रति घरेलु हिंसा बालात्कार लिंग भेद व दहेज प्रथा आदि अपराधों के प्रति चितिंत है।

आज की महिलाओं रुढिवादिता त्याग कर समज से कन्धे से कन्धे मिलाकर चल रहे है एवं जहां तक जरुरी है पाश्यचात् संस्कृति को अपनाते हुए समाज में सन्तुलन के लिए प्रयास रत है यह बिल्कुल सत्य है हक प्रकृति की आद्वितीय कृति नारी को हटाकार यदि हम संतुलित विकास की बात करते है तो यह विश्व की सबसे बडी मिथ्या सोच होगी इसलिए महिलाओं के सामाजिक सम्मान कर्त्तव्य एवं अधिकारी की रक्षा के लिए ऐसी नीति निर्देश नियम एवं कानून की आवश्यकता है जो उन्हें प्रत्येक शोषण एवं उत्पीडन से मुक्ति दिला सके।

(II) सुझाव

उत्तरदाताओं का सुझाव :–

महिला उत्तरदाताओ की राय इस प्रकार है कि महिलाओ को कोई अधिकार प्रदान किए गये है तथा सरकार द्वारा लगातार उनके स ाक्तिकरण के लिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है पर महिलाओं के प्रति अपराध में बढोंतरी ही हो रही है इस दि ाा में सबसे पहला प्रयास यह किया जाना चाहिए कि लोगो की मानसिकताओं मे बदलाव लाना चाहिए तथा जहां तक हो सके इस मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए नारियों को स्वम रहन–सहन वस्त्र आभुशण पहनावा बोलचाल आदि में विशेश परिवर्तन लाना चाहिए। आज की शहरी जनता को महिला दिवस की प्रासंगिकता समझाने के लिए मीडिया द्वारा प्रदर्शन कुछ सभाएँ तथा सरकार द्वारा पुरुशकार वाले कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए।

नारी मुक्ति का मतलब है कि महिलाओं को अपने फैसले लेने में स्वतत्रता हो अपना कैरियर और पति रोजगार व्यवसाय आदि चुनने की आजादी उसमें होनी चाहिए।

नारी के बिना समाज एवं संस्कार की कल्पना ही नही की जा सकती।

शोधकर्ता का सुझाव :–

1 महिलाओ एवं बालिकायों को न केवल सेकेण्ड्री स्कूल तक की ि ाक्षा की निः ाुल्क व्यवस्था होनी चाहिए वरन् उच्च ि ाक्षा में निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित की जा सके ।

2 महिलाओं की शारीरिक संरचना में पुरुशो की अपेक्षा रोग गस्त होने की सम्भवना अधिक रहती है अतः यह प्रयास होना चाहिए कि महिलाओ को पोश्टिक आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षण की व्यवस्था की जाए।

3 पर्यावरण से संम्बंधित विभिन्न कारको का महिलाओ के जीवन पर प्रभाव पडता है अतः पर्यावरण के दुश्प्रभावो से महिलाओं के सरक्षण हेतु समुचित प्रयास होने चाहिए।

4 जन संचार साधनो को महिलाओं के सम्बंध में एक ऐसी आचार संहिता विकसित करनी चाहिए कि उसके माध्यम से स्त्री पुरुश के समान परिस्थिति को स्वीकृति मिले।

5 स्थानीय निकायों विधानसभाओं एवं लोक सभा में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण किया जाना चाहिए।

6 महिलाओं के विरुद्व की गई सभी प्रकार की हिं ाा को सक्षमता पुर्वक व दृढतापुर्वक निपटाया जाना चाहिए।

7 विवाह एवं तालाक सम्बधी कानूनो में परिवर्तन होना चाहिए और उन्हें महिलाओं के अनुकुल बनाया जाना चाहिए।

8 महिला पुरुश की समानता की शुरुआत घर से होने चाहिए।

9 लिंग समानता को विकास के एक प्रमुख लक्ष्य के रुप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

10 महिलाओं को परिवारिक सम्पति में अधिकार मिलना चाहिए।

11 महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना बनाई जाऐ तो ध्यान देने योग्य बात है कि इनके विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए स्थानीय लोगों की मद्द ली जाए।

12 जो भी वर्तमान योजनाएँ बनाई जाए वह महिलाओ के साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

13 वैधानिक प्रणाली का स ाक्तिकरण कर महिलाओ को साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

14 पुरुशों के महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिए।

समाजिक कार्यकर्ता की भुमिका :–

महिला सशक्तिकरण आज समाजकार्य का एक प्रमुश कार्य क्षेत्र बनता जा रहा है। इस क्षेत्र मे समाज कार्य की विधियों का निम्नलिखित प्रयोग हो रहा है।

(I) वैयक्तिक सेवा कार्यकर्ता – कुछ अभिकरण मे कार्यरत व्यक्ति सेवाकार्यकर्ता ऐसी महिलाओं के साथ कार्य रहे है। वे उनसे सम्बन्ध स्थापित कर उनकी ईगों है वरन उनकी छिपी हुयी क्षमताओं को भी पहचान कर इस प्रकार से उन्हें सक्षम बनाने में योगदान करते है कि वे वैयक्तिक रुप से सन्तोशप्रद एवं सामाजिक रुप से उपयोगी जीवन यापन कर सके।

(II) सामूहिक सेवा कार्यकर्ता –महिला स ाक्तीकरण हेतु सामूहिक सेवाकार्य की सेवाओं को निम्नालिखित रुप में उपयोग किया जा रहा है।

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महिला समूहों के साथ कार्य करते हुये सामूहिक सेवा कार्यकर्ता विभिन्न प्रविधियों का उपयोग करते हुये उनमे सामाजिक चेतना आत्म शक्ति की चेतना आत्म शक्ति की चेतना एवं कार्यक्रमें का सक्षम ढंक से संचालित करते हुऐ लक्ष्य प्राप्ति की चेतना का विकास करता है।

(ख) आज पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में 30ः स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित है। किन्तु अधिकांश स्थितियों में महिला सदस्य या तो बैठकों मे भाग नहीं लेती है अथवा भाग लेने बावजूद बैठकों में मौन धारण किये रहती है। समुहिक सेवा कार्य के माध्यम से ऐसी महिलाओं को एक साथ लाकर उनमें विकास कार्यकर्मो मे सकीय सहभाजन का विकास किया जा सकता है ताकि वे विभिन्न बैठको मे अपनी भूमिकाओं का स ाक्त निर्वन कर सके ।

अध्याय – 6

अनुसूची, अन्य स्त्रोत एवं परिशिष्ट

पं0 सुन्दर लाल शर्मा विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ0ग0)

"समाज में महिलाओ के अधिकार सशक्तीकरण एवं चुनौतियॉ का अध्ययन"

(अम्बिकापुर–सरगुजा के संदर्भ में)

आपकी सूचना पुर्णतः गोपनीय रखी जायेगी

व्यक्तिगत विवरण

(1) नाम :–
(2) आयु :–
(3) व्यवसाय :–
(4) लिंग :–
(5) शिक्षा :–
(6) वैवाहिक स्थिति :–
(7) जाति :–
(8) धर्म :–
(9) वर्ग :–
(10) श्रेणी :–
(11) ग्राम :–
(12) ग्राम –पंचायत :–
(13) विकासखण्ड जिला :–

परिवारिक विवरण :–

क0	लिंग	आयु	उत्तरदाता के साथ संबंध	शिक्षा	वैवाहिक स्थिति	व्यवसाय

(1) आप महिलाएं अपने अधिकारो से परिचित है ?

(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(2) क्या आप ने महिलाधिकारों के लिए कभी आवाज उठाई है?

(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

यदि हॉ तो किन अधिकारो के लिए :–

(क) दहेज संबंधी (ब) विवाह संबंधी (स) दुसरी महिला को हक दिलाने

(द) संतान संबंधी (इ) उपयुक्त सभी

(3) सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं की योजनाओं की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है।

(क) हॉ (ख) नहीं

(4) क्या आपको अपना जीवन–साथी चुनने में सहायता प्रदान की गई थी ?

(क) हॉ (ख) नहीं

(5) महिलाएँ अपने अधिकारो के लिए पहले से अधिक जागरुक हुई है ?

(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(6) क्या आपके परिवार में लडका/लडकी मे फर्क किया जाता है ?

(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(7) क्या आप परिवार की आर्थिक भागीदारी में सहायता करती है ?

(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(8) क्या आप का बैक मे खाता है ?
(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(9) क्या आप दहेज प्रथा के खिलाफ है?
(क) हॉ (ख) नहीं
(10) क्या आप सभी के घर सौचालय है?
(क) हॉ (ख) नहीं
(11) क्या आप अपने मताधिकार का प्रयोग करती है?
(क) हॉ (ख) नहीं

(12) क्या आप घुॅघट का समर्थन करती है?
(क) हॉ (ख) नहीं

(13) क्या आप को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी है?
(क) हॉ (ख) नहीं

(14) क्या आपके परिवार के बुजूर्ग आपके कार्यो में रोक–टोक करते है?
(क) हॉ (ख) नहीं

(15) क्या आप अपने बच्चो का उचित पालन पोशण प्रदान कर पा रही है?
(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(16) क्या आप महिलाओ के उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु सहमत है ?
(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

(17) क्या आप बाल विवाह को उचित मानती है?
(क) हॉ (ख) नहीं

(18) क्या आप प्रेम–विवाह को उचित मानती है ?
(क) हॉ (ख) नहीं (ग) कह नहीं सकते

महिला एवं बाल विकास कार्यकम में ग्रामीण परिक्षेत्र में आने वाली समस्याओं के संबंध में।

1	
2	
3	

महिला एवं बाल विकास कार्यकम के संबंध में सुझाव।

1	
2	
3	

हस्ताक्षर

संकलनकर्ता

हस्ताक्षर

हितग्राही